प्रस्तावना

वर्तमान समय में सभी समाजों में ऊँची दर से गतिशीलता प्रमुख विशेषता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समाज में भी समयानुसार परिवर्तन होते रहते है। अलग-अलग समाजों में परिवर्तन की दर भी भिन्न-भिन्न होती है। जब किसी समाज या व्यवस्था में परिवर्तन के परिणामस्वरूप सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के संरचनात्मक स्वरूप में परिवर्तन आता है तो यह सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया कही जाती है। इस परिवर्तनों के परिणामस्वरूप लोगों के व्यवहार, विचारमत, रिवाजों, जीवनशैली में बदलाव आ रहे है और लोग व्यवहारिक रूप से तार्किक, **हसनैन (2004);** धर्मनिरपेक्ष और विचारों से आधुनिक हो रहे है। इन बदलावों के कारण मानव व्यक्तिवादी हो रहा है। सामाजीकरण की नई प्रक्रिया और व्यवहार के नए तरीके स्वीकार किए जाने लगे है। इस प्रक्रिया में एक व्यक्ति अपने सामाजिक स्थान में एक सामाजिक पद से दूसरे सामाजिक पद की ओर गति करता है, जिससे समयानुसार समाज विकास की ओर अग्रसर होता है।

इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशियालॉजी के अनुसार **"सामाजिक गतिशीलता को उस परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें परिवर्तन का उद्देश्य एक प्रास्थिति वर्ग (उत्पत्ति) से दूसरी प्रास्थिति वर्ग (लक्ष्य) में प्रवेश करना होता है।"**

सोरोकिन के अनुसार **(1927),** "वृहद अर्थ में सामाजिक गतिशीलता का अर्थ लोगों के सामाजिक स्थान में बदलाव माना जाता है।

दूसरे शब्दों में लोगों की एक सामाजिक स्थिति की दशा या रूप में अन्य परिवर्तन से है।"

लिपसेट और जीटरबर्ग (1966 : 563) का कहना है कि "एक व्यक्ति या समूह की सामाजिक गतिशीलता का निर्धारण उसके व्यवसाय उपभोग, सामाजिक शक्ति, सामाजिक वर्ग की स्थिति में बदलाव से होता है। लोगों के विश्वास, मूल्य, मानदंड, प्रथाओं ओर उनकी भावनात्मक अभिव्यक्तियों में व्यवसायिक वर्ग के अनुसार अन्तर होता है।" गतिशीलता की दर भिन्न-भिन्न आयामों में भिन्न-भिन्न होती है। सम्भावना होती है कि किसी एक पक्ष में गतिशीलता दूसरे पक्ष की तुलना में अधिक हो। इसलिए उन्होंने सामाजिक गतिशीलता को समझने के लिए पिता व पुत्र के मध्य व्यवसायिक स्थिति के अन्तर का उदाहरण प्रयोग किया था।

लिपसेट एस. एम. और आर. बेन्डिक्स (1967 : 8) के अनुसार "सामाजिक गतिशीलता के अध्ययन के लिए किसी व्यक्ति द्वारा नौकरी की प्रारम्भिक अवस्था और तुलना के समय की अवस्था के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन है। यह सामाजिक वंशागति और गतिशीलता के माध्यमों के मध्य सम्बन्ध है। जब व्यक्ति सामाजिक स्तरीकरण में ऊपर उठता है तो वह नए वर्ग में मित्र बनाता है। नए माहौल के अनुसार रहन-सहन में बदलाव लाता है। कभी-कभार अपने धार्मिक विश्वास और राजनैतिक मूल्यों में भी बदलाव होता है। उनके अनुसार प्रत्येक समाज में गतिशीलता के मौजूद रहने के दो कारण है :-

1) प्रदर्शन की माँग में बदलाव 2) प्रतिभाओं की पूर्ति में बदलाव

राजमोहिनी सेठी (1976) का कहना है कि सामाजिक गतिशीलता लोगों के विश्वास और दृष्टिकोण में संरचनात्मक परिवर्तन करती है, जिसके परिणामस्वरूप तार्किकता, सार्वभौमिकता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा मिलता है, जिससे समानता, स्वतन्त्रता और सभी को आजादी प्राप्त होती है।

संजय के. जे. (1994 : 6) के अनुसार "सामाजिक गतिशीलता अप्रत्यक्ष रूप से उस प्रक्रिया को कह सकते है, जो सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक प्रतिबद्धता को क्षीण करता है और समाप्त कर देता है। व्यक्ति नए प्रकार के सामाजीकरण और व्यवहार को अपना लेते है।"

के. एल. शर्मा (1997 : 157) का मानना है कि "लोगों या समूह के सामाजिक स्तरीकरण की परिवर्तित प्रास्थिति को सामाजिक गतिशीलता कहा जा सकता है। यह बदलाव दो प्रकार से होता है 1) लम्बवत गतिशीलता या संरचनात्मक परिवर्तन यानि प्रास्थिति निर्धारण के तरीके में बदलाव 2) समतल गतिशीलता या पद परिवर्तन-व्यवस्था के मानकों में बदलाव।"

अंजली कुराने (1999 : 12, 41) "सामाजिक गतिशीलता को समाज के उन सामाजिक, सांस्कृतिक बदलावों को सन्दर्भ में देखा जा सकता है, जिनके कारण समाज समय की माँग के अनुरूप विकास की ओर अग्रसर होता है।" वह आगे कहती है कि एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन शिक्षा, व्यवसाय, प्रास्थिति, आय और शक्ति

के सन्दर्भ में होता है, उसे व्यक्ति या समूह की सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। इससे एक व्यक्ति की शिक्षा, व्यवसाय, आय, आर्थिक स्थितियों में बदलाव, सम्मान, शक्ति और धन में परिवर्तन होता है। यह व्यक्ति की सम्पूर्ण स्थिति बदल देता है। वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य मध्य उत्तर प्रदेश के जिले बारांबकी के अन्तर्गत नरेन्द्रपुर मदरहा गांव की महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन है। गांव मे निवास करने वाली सभी जातियाँ पारम्परिक व्यवसायों, कृषि, पशुपालन, दैनिक मजदूरी में संलग्न है। इस शोध में गांव की महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता का मापन शिक्षा, व्यवसाय, सामाजिक सहभागिता, राजनीतिक सहभागिता, आर्थिक गतिशीलता के आधार पर किया गया है। वर्तमान शोध के लिए सामाजिक गतिशीलता का अर्थ महिलाओं की शिक्षा के स्तर में हुए परिवर्तनों, व्यवसाय और आय की प्रास्थिति में परिवर्तनों, सामाजिक सहभागिता में निर्णय लेने के अधिकारों में परिवर्तन राजनीतिक भागीदारी के प्रति महिलाओं की सोच और विचारधारा में आए परिवर्तनों से है।

❖ सामाजिक गतिशीलता के प्रमुख कारक

सामाजिक गतिशीलता के प्रमुख कारकों का वर्णन निम्न है :-

- **प्रास्थिति -** प्रत्येक समाज में प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक समूह के लिए अलग-अलग प्रास्थिति और स्थान निर्धारित हेाता है। **राल्फ लिंटन (1958)** प्रख्यात मानवविज्ञानी के अनुसार प्रास्थिति से तात्पर्य उन व्यवहार नियम से है जो पद या स्थिति के साथ जुड़ा होता। इस प्रकार व्यक्ति की कुल प्रास्थिति उस समाज में उसे प्राप्त

अधिकारों और कर्तव्यों का योग है। समाज में व्यक्ति की प्रास्थिति का निर्धारण करने वाले कारक परिवार, सामाजिक समूह, मानदंड और समाज में प्रचलित मूल्य है। यह कारक वस्तुनिष्ठ है और व्यक्ति के जन्म से पूर्व समाज में मौजूद होते है। मानव वैज्ञानिकों और सामाजिक मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि आधुनिक समाजों में वैकल्पिक कारक कम महत्त्वपूर्ण होते जा रहे है और उनका मानना है कि विकसित समाजों में समाजीकरण की प्रक्रिया और सोच के निर्माण प्रक्रिया से व्यक्ति की प्रास्थिति निर्धारित होती है।

महिलाओं की प्रास्थिति के सन्दर्भ में एक महिला जिन पदों का निर्वहन करती है जैसे कि एक पुत्री, माँ, पत्नी, एक श्रमिक के रूप में आदि। इन पदों से जुड़े कर्तव्यों और अधिकारों को समझ कर ही हम महिला की प्रास्थिति समझ सकते है।

एक महिला की प्रास्थिति का सामान्यतः निर्धारण रिवाज, उम्र, वैवाहिक प्रास्थिति, परिवार की दशाएं इत्यादि के व्दारा होता था, परन्तु आधुनिक समय में शिक्षा, रोजगार, नौकरी, आय, पति की प्रास्थिति इत्यादि ने महिलाओं की प्रास्थिति में बदलाव किए है। **इन्द्रादेवा और श्रीरामा (1986)** के अनुसार समाज की मूलभूत संरचना पर ही स्त्रियों की प्रास्थिति निर्भर होती है। **अंजली कुराने (1999), के. एल. शर्मा (1997)** के अनुसार व्यक्ति की प्रास्थिति में बदलाव ही सामाजिक गतिशीलता है।

- **शिक्षा -** व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा अति महत्त्वपूर्ण है। **एस. सी. दुबे (1976), भाई (1986), अरूणा गोयल (2004)** कहते है कि शिक्षा के माध्यम से समाज के सभी सदस्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति और सामाजिक दायित्वों का निर्वाहन भलीभाँति कर सकते है। शिक्षा के द्वारा वैचारिक क्षमता का विकास होता है, जिससे कि राष्ट्र के विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यह उर्ध्वाकार और क्षैतिज गतिशीलता के लिए प्रेरणा स्त्रोत का कार्य करती है।

  बी. एस. कोहन (1961), ओमन. टी. के. (1964), अंजली कुराने (1999) के अनुसार शिक्षा ही वह माध्यम है जो कि सामाजिक परिवर्तनों को बढ़ावा देती है, जिससे सामाजिक गतिशीलता होती है। **सुनन्दा पटवर्धन (1968)** भारत में वर्तमान समय में गतिशीलता को बढ़ावा देने में शिक्षा बहुत हद तक जिम्मेदार है। उच्च शिक्षा और प्राप्त शिक्षा का स्तर ऊपर की ओर गतिशीलता के लिए जिम्मेदार है।

- **व्यवसाय -** सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए व्यवसाय महत्त्वपूर्ण मानक है। व्यवसायिक गतिशीलता से न केवल सामाजिक बदलावों का संकेत मिलता है, बल्कि लोगों के बदलती नई सोच और व्यवहार का ज्ञान होता है। **लिपसेट और जेटरबर्ग (1956),** शहरी व्यवसाय सर्विस इन्डस्ट्री और सफेद कॉलर व्यवसाय के बढ़ते अनुपात के कारण कृषि कार्य और हस्तकलाओं

के अनुपात में गिरावट आई है। आगे वह कहते है कि एक व्यक्ति या समूह के सामाजिक गतिशीलता का निर्धारण व्यवसाय में परिवर्तन या व्यवसायिक स्तरीकरण में परिवर्तन से होता है।

- **सोच और विश्वास में परिवर्तन -** जब व्यक्ति की सोच और जीवन मूल्यों में परिवर्तन होता है तब भी यह परिवर्तन समाज में होता है। एक प्रकार से विचारों और मूल्यों में परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता की ओर अग्रसर करता है। **लिपसेट और जेटरबर्ग (1966)** के अनुसार व्यवसायिक गतिशीलता के परिणामस्वरूप व्यवसायिक वर्ग में बदलाव के कारण व्यक्ति के विचार, विश्वास, मानको, रिवाजो-प्रथाओं और भावनात्मक अभिव्यक्तियों में परिवर्तन होता है। **राजमोहिनी सेठी (1976), संजय के. जे. (1994), अंजली कुराने (1999)** के अनुसार सामाजिक गतिशीलता के कारण लोगों के व्यवहार और विश्वासों में संरचनात्मक परिवर्तन होते है, जिससे लोग व्यवहार और विचारों में तार्किक और आधुनिक बनते है। **सुनन्दा पटवर्धन (1968),** आधुनिक भारत में गतिशीलता का निर्धारण केवल शिक्षा के स्तर, व्यवसाय के परिवर्तन से ही नहीं अपितु व्यक्तिगत गुणों में आए बदलावों से किया जा सकता है। **के. एल. शर्मा (2007),** शहरीकरण के कारण पारम्पारिक मूल्यों और प्रभावों पर असर पड़ा है, जिसके फलस्वरूप व्यक्तियों के विचारों, विश्वासों और संसार के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आया है, जिससे व्यक्तिवादिता का जन्म हुआ है।

प्रारम्भिक समय में विवाह, परिवार, प्रथाओं और रिवाजों के प्रति पारम्परिक सोच थी। **इवरेट जाना मैटसन (1981)** का कहना है कि स्त्री का उद्देश्य एक आदर्श समर्पित पत्नी और एक अच्छी माँ बनना था। **दुबे (1990)** कहते है कि विवाह से एक स्त्री पुरूष और पितृसत्तात्मक समाज से जुड़ जाती है। **ताराबाई प्राजंपे (1960)** के अनुसार एक स्त्री का परम उद्देश्य पति की सेवा, परिवारिक कर्तव्यों का निर्वहन धैयपूर्वक करना, बच्चों की देखभल करना है। स्त्री की स्वयं की इच्छाएं, भावनाएं महत्त्वहीन है। **आल्टेकर के अनुसार (1956)** प्रारम्भिक वैदिक काल में रजस्वला स्त्री और शिशु जन्म के बाद स्त्री को धार्मिक रूप से अपवित्र नहीं माना जाता था। धार्मिक क्रियाकलापों और यज्ञों आदि में स्त्री का सहयोग और उपस्थिति अनिवार्य थी, परन्तु बाहमण काल से बालविवाह, उपनयन संस्कार पर प्रतिबंध, शिक्षा पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें शूद्रो के समकक्ष प्रास्थिति में पहुँचा दिया गया।

वर्तमान समय में शहरीकरण, औद्योगिकरण और स्त्रियों में शिक्षा और रोजगार के बढ़ने के कारण विवाह, परिवार और प्रथाओं-रिवाजों में बहुत परिवर्तन आए है। **के. एल. शर्मा (2007)** के अनुसार शिक्षा, रोजगार और सामाजिक-संस्कृति बदलावों ने पवित्र हिन्दु विवाह संस्कृति को कमजोर किया है। तमाम बदलाव के बाद भी पाश्चात्य देशों की तुलना में हिन्दु परिवार अभी भी संयुक्त रूप से निवास करते है। आंशिक रूप से संरचना और मुख्य रूप से निवास में अभी भी संयुक्त परिवार की जीवनशैली अपनाते है।

आल्टेकर (1956), स्त्रियों ने यह समझ लिया है कि उनकी प्रगति शिक्षा के महत्त्व और आर्थिक अधिकार प्राप्त करने से है, न कि पारम्परिक धार्मिक विश्वासों और रिवाजों के पालन करने से होगी।

- **सामाजिक सहभागिता का महत्व -** पारम्परिक प्राचीन समाजों में स्त्रियों की भूमिका केवल गृहणी के रूप में मानी जाती थी और उनकी सामाजिक जीवन में कोई भूमिका नहीं थी। वर्तमान समय में शिक्षा और रोजगार के अवसरों ने स्त्रियों की पारम्परिक भूमिका में महत्त्वपूर्ण बदलाव किए है। स्त्रियाँ अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त कर रही है और घर में भी अधिकार सम्पन्न होने का प्रयत्न कर रही है। स्त्रियाँ पारम्परिक प्रतिबन्धों को तोड़कर आगे बढ़ रही है। और स्वयं के सामाजिक जीवन जी रही है। नौकरी में अपने सहकर्मी पुरूषों से आसानी से घुल-मिल रही है और विभिन्न संगठनों का हिस्सा बन रही है। **संजय, के. जे. (1994)** वर्णित करते है सामाजिक गतिशीलता के कारण लोग सामाजीकरण और व्यवहार के नए प्रतिमान स्वीकार कर रहे है। **अंजली कुराने (1999)** कहती है कि सामाजिक गतिशीलता वृहद रूप से सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन है जो कि व्यक्ति की सम्पूर्ण स्थिति में परिवर्तन लाती है।

- **सामाजिक दूरी का महत्व -** पारम्परिक भारतीय समाज की पहचान जाति व्यवस्था है, जिसकी पहचान कठोर जाति पदानुक्रम, अन्तः जाति विवाह, अपने से निम्न जाति के साथ खान-पान और सामाजिक अन्तर्क्रिया पर प्रतिबन्धों से होती है। इससे व्यक्ति के

व्यक्तिगत गुणों का महत्त्व नहीं होता है। **मैरियट, मैक्किम (1959),** किसी स्थान की जातीय स्तरीकरण की पहचान उन जातियों के मध्य आपसी खान-पान और प्रथाओं-परम्पराओं में होने वाली सहभागिता से की जा सकती है।

वर्तमान समय में बदलती सोच और उदारवादी दृष्टिकोण के कारण पारम्परिक जाति पदानुक्रम कमजोर हुआ है। **एस. एम. लिपसेट और आर. बेन्डिक्स (1967),** सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया में लोग अपने मित्रों में बदलाव करते है और नए पड़ोसियों का चुनाव करते है। **सुनैना मलिक (1979)** इंगित करती है कि सामाजिक गतिशीलता के फलस्वरूप व्यक्तियों के अन्तःव्यक्ति सम्बन्धों में बदलाव आता है। **बोगार्डस (1967)** दर्शाते है कि जब निम्न जाति के लोग उच्च जाति से घरेलू सम्बन्ध रखते है, उनके साथ भोजन ग्रहण करते है, उच्च जाति के सामाजिक समारोहों में सहभागिता दर्शाते है, उच्च जाति के रसोई घर में प्रवेश पाते है और अन्तरजातीय विवाह होते है, तो इन सब में सामाजिक गतिशीलता को देखा जा सकता है।

- **राजनैतिक सहभागिता के स्तर पर -** राजनीतिक सहभागिता और सामाजिक गतिशीलता एक-दूसरे से अन्तर्सम्बन्धित है। **एस. एम. लिपसेट और आर. बेन्डिक्स (1967)** के अनुसार जब एक व्यक्ति सामाजिक स्तरीकरण में ऊर्ध्वमुखी परिवर्तन करता है तो उसके राजनीतिक अभिवृत्ति में भी परिवर्तन होता है। प्राचीन काल में स्त्रियों

की राजनीतिक प्रास्थिति नहीं थी, परन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात महिला मतदाताओं और महिला प्रतिनिधियों में बढ़ोत्तरी हुई है। संसद में विधानसभा में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण पर कानून प्रस्तावित है। **झा. के. एन. (1985)** का मानना है कि राजनैतिक सामाजीकरण की उच्च दर और राजनैतिक सहभागिता आधुनिकीकरण की उच्च दर को बढ़ावा देती है। **सुनन्दा पटवर्धन (1968)** के अनुसार आधुनिक भारत में राजनीतिक सहभागिता के महत्त्व और प्रभाव से गतिशीलता का निर्धारण किया जा सकता है। **हाटे. सी. ए. (1969), सीमा सालगोकर (2006)** का मानना है कि राजनीति के क्षेत्र में लिंग समानता नहीं आ सकती है और पदासीन राजनीतिक दलों में शायद ही कोई महिला जो स्वतन्त्र राजनीतिक निर्णय लेने के लिए स्वतन्त्र हो। उनके अनुसार महिलाओं को अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए परम्पराओं से संघर्ष करना होगा।

- **जनसंचार माध्यमों का उपयोग -** जनसंचार माध्यमों के उपयोग और प्रदर्शन का सीधा सम्बन्ध सामाजिक गतिशीलता से है। चूँकि भारत में साक्षरता की दर निम्न है जिसके कारण तमाम सामाजिक बुराइयाँ परम्परागत सोच, विश्वास और लापरवाहियों के कारण पाई जाती है। **विनोद, सी. अग्रवाल (2004)** के अनुसार जो लोग जनसंचार माध्यमों का नियमित तौर पर करते है उनमें विचारों व परिवर्तनों के प्रति जागरूकता पाई जाती है, जो कि धीरे-धीरे सामाजिक गतिशीलता का मार्ग दिखाती है। जनसंचार के माध्य टी. वी., रेडियो एफ. एम. आदि की दूर दराज क्षेत्रों में भी प्रभावशाली

पहुँच है। **विनोद. सी. अग्रवाल (1977)** का अध्ययन दर्शाता है कि वह महिलाएं जो प्रतिदिन टी. वी. देखती है, उनमें परिवार नियोजन, स्वास्थ्य और पोषण के प्रति पुरूषों से अधिक जागरूकता है। **झा.के. एस. (1985),** संचार के माध्यमों की ऊँची दर में प्रदर्शन जैसे की दैनिक समाचार पत्रों, टी. वी. कार्यक्रमों, फिल्म देखने की आवृत्तियों, आधुनिकीकरण का प्रतीक है। **संजय के. जे. (1994)** कहते है कि जो लोग जनसंचार माध्यमों के सम्पर्क में रहते है, उनके विचारों में तार्किकता और धर्मनिरपेक्षता का प्रभाव देखा जा सकता है।

सोरोकिन (1927), सामाजिक गतिशीलता के कारकों को दो भागों में विभाजित करते है :-

अ) प्राथमिक या सामान्य कारक

ब) द्वितीयक या स्थानीय कारक

अ) प्राथमिक या सामान्य कारक

1) **जनसंख्या विषयक –** जनसंख्या विषयक कारकों से तात्पर्य जन्म दर, मृत्यु दर और प्रजनन असमर्थता के मध्य अन्तर है। सोरोकिन के जनसंख्या विषयक दृष्टिकोण के सन्दर्भ में सांख्यिकी और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि उच्च जाति की प्रजनन दर निम्न जाति की तुलना में अत्यन्त कम है। अत:

ऊपर खाली हुए स्थान को भरने के लिए निम्न जाति के लोक ऊपर स्तरीकरण में चले जाते है।

2) **माता-पिता और बच्चों में असमानता –** अभिभावक और बच्चों के सन्दर्भ में ऐसा पाया गया है कि प्रतिभाशाली माता-पिता के बच्चे सदैव प्रतिभाशाली होते है। कई बार अति साधारण माता-पिताके बच्चे प्रतिभाशाली और प्रसिद्ध होते है। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और आन्तरिक और प्रदत्त गुणों जो कि कार्यों के संपादन के लिए आवश्यक है, के मध्य असमानताओं के अन्तर के कारण ही सामाजिक गतिशीलता होती है।

3) **मानवीय सामाजिक वातावरण में परिवर्तन –** वातावरण के परिवर्तन के सन्दर्भ में विशेषकर तकनीकी बदलाव या संरचनात्मक कारकों के कारण जो सामाजिक बदलाव आते है, वह सामाजिक गतिशीलता को बढाते है। सामाजिक वातावरण सदैव गतिशील रहता है, अविष्कार चाहे वह उत्पादन के साधनों में हो या यातायात के साधनों में हुआ हो। सामाजिक जीवन के किसी क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण बदलावों से कुछ व्यक्ति को फायदा होता है, तो कुछ व्यक्तियों को नुकसान होता है।

4) **सामाजिक वर्गीकरण में दोषहीन व्यक्तियों को सामाजिक पद –** दोषहीन सामाजिक वितरण के सन्दर्भ में साधारण व्यक्ति को प्रतिभाशाली व बुद्धीमान व्यक्ति के ऊपर नियुक्ति कर दिया जाता है

और एक असहाय व्यक्ति सक्षम व्यक्ति को आदेश देता है। किसी भी समाज की विडंबना यह है कि समाज के सदस्यों में गुणों के अनुसार शक्ति व सत्ता का वितरण नहीं होता है।

ब) द्वितीयक कारक निम्न है –

1) स्तरीकरण के प्रतिमान

2) शिक्षा के अवसर

3) शहरीकरण और

4) मनोवैज्ञानिक प्रेरणा

लिपसेट और जेटरबर्ग (1956) के अुनसार सामाजिक गतिशीलता के प्रमुख कारक है :-

औद्योगिकरण – नौकरी, उद्योगों में वृद्धि, सफेद कालर व्यवसाय और नौकरशाही इत्यादि तीव्र रूप से सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देते है। उनका मानना है कि पाश्चात्य देशों के आद्योगिक समाजों की सामाजिक गतिशीलता के प्रतिमान लगभग एकसमान है।

सभी औद्योगिक देशों में औद्योगिकरण के फलस्वरूप ऊध्वमुखी गतिशीलता बढ़ी है। इस मत का खंड़न करते हुए कहा है कि जब किसी देश में औद्योगिकरण बढ़ता है, तो उसके पीछे बहुत सारी सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताएं समाप्त होने लगती है।

शहरीकरण – शहरीकरण के फलस्वरूप शहरी रोजगार की दर में बढ़ोत्तरी हुई है, जिसके कारण कृषि कार्यों में कमी आई और गांवों से शहरों की ओर प्रवसन बढ़ा है। शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के बेहतर अवसर और रोजगार के अवसर बढ़े है।

एस. एम. दुबे (1975) के अनुसार सामाजिक गतिशीलता के लिए उत्तरदायी कारक निम्न है :-

संस्कृतिकरण – श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा एक निम्न हिन्दू जाति अथवा जनजाति या अन्य समूह किसी उच्च एवं द्विज जाति का अनुकरण करते हुए अपने रीति-रिवाजों, कर्मकाण्डों, आचरण, विचारधारा एवं जीवन पद्धति में परिवर्तन करते है। इस प्रकार के परिवर्तन द्वारा वे आगे चलकर जाति पदानुक्रम व्यवस्था में अपेक्षाकृत उच्च स्तर प्राप्त करने की कोशिश करते है, जो पारम्परिक रूप से स्थानीय समुदाय द्वारा उन्हें प्रदान किए गए सामाजिक स्तरीकरण में सम्मानीय स्तर प्रदान करता हो।

पश्चिमीकरण – पश्चिमीकरण की प्रक्रिया का संबंध केवल ब्रिटिश शासन काल में लाए गए परिवर्तन से तथा वह परिवर्तन वर्तमान में भी जारी है। संस्कृतिकरण के विपरीत पश्चिमीकरण प्रक्रिया का संबंध किसी जाति विशेष से न होकर सभी जातियों व जनजातियों के मध्य देखा जा सकता है। ब्रिटिश शासन के परिणामस्वरूप भारतीय परम्परागत समाज के विश्वासों

एवं मूल्यों में परिवर्तन आया। यह परिवर्तन किसी जाति विशेष तक सीमित न होकर सम्पूर्ण देश के प्रत्येक समाज तथा संस्कृति में भी हुआ।

सोरोकिन के अनुसार सामाजिक गतिशीलता के प्रमुख प्रकार निम्न है :-

लम्बवत गतिशीलता – वर्ण व्यवस्था में अपने स्तरीकरण को बेहतर बनाने के लिए कार्यरत रहते है। जैसे- संस्कृतिकरण सभी समाजों में लम्बवत गतिशीलता अपने आर्थिक, राजनैतिक एवं व्यवसायिक रूपों में पाई जाती है।

ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता – जैसे कोई दलित जाति का व्यक्ति संस्था या संगठन का प्रमुख बन जाए, जिसके निर्देशन में अन्य सहकर्मी उच्च जाति से सम्बन्धित हो।

नीचे की ओर गतिशीलता – किसी उच्च जाति के व्यक्ति का चपरासी या सफाईकर्मी के पद पर कार्य करना। भले ही जातीय स्तरीकरण में उच्च हो पर कार्यालय पदक्रम में वह सबसे निम्न है।

इन्टर जेनरेशनल गतिशीलता – एक पीढ़ी के व्यवसाय से दूसरी पीढ़ी के व्यवसाय में गतिशीलता पाई जाती है। जैसे- किसी रिक्शाचालक की बेटी आई. ए. एस. अधिकारी हो।

इन्ट्राजेनरेशनल गतिशीलता – एक ही पीढ़ी के सदस्यों के मध्य आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनैतिक आदि प्रकार की गतिशीलता पाई जाती है। जैसे- एक पिता के चार पुत्रों में एक पुत्र किसान, दूसरा पुत्र डाक्टर, तीसरा पुत्र बैंक में कर्मी, चौथा पुत्र प्रभावशाली नेता है।

संरचना में गतिशीलता – सामाजिक स्तरीकरण में एक स्तर से दूसरे स्तर बना लेना ही संरचना में गतिशीलता है। **रोवी (1968), सिल्वरबर्ग (1969), श्रीनिवास (1987)** के अनुसार भारत में जातीय स्तरीकरण के रूप में गतिशीलता सर्वाधिक संस्कृतिकरण व पश्चिमीकरण के परिणामस्वरूप देखने को मिलती है।

क्षैतिज गतिशीलता – क्षैतिज गतिशीलता के अन्तर्गत व्यक्ति के व्यवसाय, प्रास्थिति, व्यक्ति की भूमिका या आर्थिक, राजनैतिक प्रास्थिति में तो परिवर्तन आता है, परन्तु जातिगत स्तरीकरण के पदक्रम में परिवर्तन नहीं होता है। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता है।

स्थलीय गतिशीलता – जब कोई अपना पैतृक निवास त्याग कर किसी अन्य प्रदेश या क्षेत्र में निवास करने लगता है तो उसे स्थलीय गतिशीलता कहा जाता है।

❖ भारत में सामाजिक गतिशीलता

भारत में अंग्रेजों के शासन के पूर्व जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता असम्भव थी।

ब्रिटिश शासन काल में गतिशीलता के नए माध्यम उत्पन्न हुए जैसे- 1) एकछत्रीय राजनैतिक शक्ति 2) प्रशासन के नए प्रकार – सैन्य सेवा, रेलवे, डाकघर आदि 3) भूमि किसी को भी बेची जा सकती, चाहे वह व्यक्ति निम्न जाति का हो, सिर्फ भूमि का मूल्य चुकाने का सामर्थ्य हो 4) लैन्ड सीलिंग एक्ट के परिणामस्वरूप नई आर्थिक सम्भावनाएं उत्पन्न हुई। 5) ईसाई मिशनरियों की भूमिका 6) रेलवे, सड़कों और पुलो-नहरों का निर्माण और नकदी कृषि का प्रवेश जैसे- कपास, चाय इत्यादि के परिणामस्वरूप हजारों लोगों को व्यवसाय मिला। शिक्षा, आर्थिक, राजनैतिक अवसर अब समान रूप से सभी जातियों को उपलब्ध थे। इस प्रकार निम्न जातियों ने हाई स्टेटस के प्रतीक राजनैतिक शक्ति, शिक्षा और नए आर्थिक अवसरों को प्राप्त करने का प्रयास किया।

स्वतन्त्रता के पश्चात बीसवीं सदी में जाति व्यवस्था में अत्याधिक गतिशीलता देखी जा सकती है। संस्कृतिकरण के परिणामस्वरूप निम्न जातियों ने उच्च जातियों के समान जीवनशैली अपनाई है।

सुनन्दा पटवर्धन (1968 : 185-208) "भारत में वर्तमान समय में गतिशीलता को केवल जातिगत स्तरीकरण में ही नहीं अपितु शिक्षा के स्तर

पर, व्यवसाय के प्रकारों में परिवर्तन, धनसंपदा के उपयोग में, भूमि अधिग्रहण, राजनीतिक सहभागिता के महत्व और प्रभाव और व्यक्तिगत गुणों में भी देखा जा सकता है।"

लथीफ. एन. और हजीरा अहमद (1964 : 236-44), वर्तमान शोध दर्शाते है कि औद्योगिक, कृषि, व्यवसायिक और संचार परिवर्तनों के कारण और प्रभाव को और उनसे सम्बन्धित सामाजिक गतिशीलता को। **रोवी (1968), श्रीनिवास (1987)** के अनुसार भारत में जातीय स्तरीकरण के रूप में गतिशीलता सर्वाधिक संस्कृतिकरण व पश्चिमीकरण के परिणामस्वरूप देखने को मिलती है।

ओवेडट (1981) का कहना है कि जाति के बजाय वर्ग परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता का आधार है। क्योंकि कृषि कार्यों के साथ पर स्वउद्यमों का प्रचलन और गांवों से शहरों की ओर प्रवसन हुआ है। नए व्यवसायी वर्ग के जन्म केवल आर्थिक दबावों से नहीं हुआ है, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप है। विशेषकर क्षेत्र की सामाजिक और राजनीतिक इतिहास को देखते है तो पाते है कि प्रभावशाली भूस्वामियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

अत: भारत में आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों ने सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा दिया है और साथ ही जातीय पदानुक्रम की नई परिभाषा की ओर कदम बढ़ाया है।

❖ भारत में स्त्रियों के मध्य सामाजिक गतिशीलता

यह शोध महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता के अध्ययन पर आधारित है। इसलिए आवश्यक है कि प्राचीन काल से वर्तमान समय तक महिलाओं की गतिशीलता को समझा जाये। वैदिक काल से अब तक महिलाओं की प्रास्थिति और स्थिति में तमाम बदलाव आए है।

जैन (1989) का कहना है कि वैदिक काल में पुरूषों के समकक्ष महिलाओं को सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक स्थान प्राप्त था। वैदिक काल के पश्चात महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी और उनकी शिक्षा पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये। अंग्रजों के काल तक स्त्रियों के लिए बालविवाह, सती प्रथा, दहेज, पर्दा प्रथा, अशिक्षा, भ्रूण हत्या प्रचलन में थी और उन्हें गृहणी के अलावा किसी भी प्रकार सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। पुरूषप्रधान पितृसत्तात्मक समाज में उनका शोषण और दमन होता रहा।

ब्रिटिश शासन काल में समाज सुधारकों जैसे- राजा राम मोहन राय, विद्यासागर, महर्षि कर्वे, महात्मा ज्योतिराव फुले आदि के प्रयासों से स्त्रियों की सामाजिक-आर्थिक दशा में सुधार और जागरूकता फैली। उसके बाद के समय में भारतीय समाज में नारियों की स्थिति को सुधारने के लिए नए कानून बनाए गए।

आजादी के बाद स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए तमाम नए कानून बनाए गए, परन्तु इन नियमों का पालन औपचारिकता मात्र है। **के. एल. शर्मा (2007 : 239)** कहते है कि साधारणत: नारी की पहचान परिवार में उसकी भूमिका से होती है। उसकी पहचान पुत्री, पुत्रवधु, माँ, सास, पत्नी आदि के रूप में है, व्यक्तिगत रूप में कुछ नहीं है। परिवार और रिश्तेदारों के अतिरिक्त उसके अपने कोई स्वतन्त्र सम्बन्ध नहीं है। परिवार के पुरूष सदस्यों के रिश्तेदार, मित्र और परिवार ही उसके अपने मित्र और सहयोगी है, जिसमें स्त्रियों की कोई स्वतन्त्र पसंद महत्वहीन है। वर्तमान समय में नारी अपनी प्रास्थिति, पद को प्राप्त कर रही है और भूमिका जो कि इतिहास से परे है, को निभा रही है। वह बिन्दु जिन पर अभी भी नारियों की दशा सुधारने की आवश्यकता है, निम्न है :-

❖ विवाह

वर्तमान समय में भी बालविवाह विशेषकर ग्रामीण, अशिक्षित और गरीबों के मध्य बालविवाह प्रचलित है। **सेठ मीरा (2001)** के अनुसार महिला और बाल विकास विभाग के अध्ययन द्वारा ज्ञात हुआ कि 1990 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और आन्ध्र प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में किशोरी लड़कियों का विवाह हुआ था, जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक लड़कियाँ 15-19 वर्ष के मध्य थी। केरल, गोवा, मणिपुर और नागालैन्ड जैसे राज्य जहाँ स्त्रियों की सामाजिक प्रास्थिति उच्च है, वहाँ 15 प्रतिशत से भी कम विवाह 15-19 वर्ष की आयु की किशोरियों के हुए है।

❖ शिक्षा

जनगणना रिपोर्ट दर्शाती है कि पिछले 50 वर्षों की तुलना में शिक्षा का दर बढ़ा। 1951 में महिला शिक्षा दर 8.86 प्रतिशत था। 2011 की जनगणना में महिला शिक्षा दर 64.46 प्रतिशत था, परन्तु लिंग के आधार पर पुरूष-स्त्री शिक्षा स्तर सदैव पिछड़ा रहा है।

2011 जनगणना में पुरूष शिक्षा दर 82.14 प्रतिशत है तो वही महिलाओं की शिक्षा दर 65.46 प्रतिशत है। गांव की महिलाएं शिक्षा के मामले और भी पिछड़ी है, उनकी शिक्षा दर 57.9 प्रतिशत है।

❖ व्यवसाय

जनगणना (1981, 2011) के अनुसार महिलाओं की नौकरी में सहभागिता का प्रतिशत बढ़ा है। 1981 में 19.7 प्रतिशत तो 2011 में यह प्रतिशत बढ़कर 77.00 प्रतिशत हो गया है। पर यह पुरूषों के ग्रामीण आत्मनिर्भरता 78.5 और शहरों में 90.51 प्रतिशत की तुलना में काफी कम है। **एम. एस. गोरे (1968), शशी जैन (1988)** कहती है कि नौकरीपेशा महिलाओं को भी स्वतन्त्र स्थिति नहीं प्राप्त है। उन्हे भी घर के कामों का बोझ ढ़ोना पड़ता है और उनकी तनख्वाह पर भी पति और ससुराल वालों का नियन्त्रण होता है। **आर. पी. मोहन्ती और डी. एन. बिस्वल (2007)** के अनुसार केन्द्र, राज्य और स्थानीय निकायों में महिला कर्मचारियों की संख्या पिछले सालों से बढ़ रही है। इसके बावजूद केवल 7

प्रतिशत महिलाएं केन्द्र सरकार, 18 प्रतिशत राज्य सरकार और 26 प्रतिशत स्थानीय निकायों में ही कार्यरत है। सार्वजनिक उद्यमों में भी महिलाओं की भागीदारी कोई विशेष संतोषजनक नहीं है।

❖ स्वास्थ्य

जन्म के समय जीवन प्रव्याशा महिला स्वास्थ्य का प्रतीक होती है। **सेठ मीरा (2001)** के अनुसार **1971-81** जनगणना से पता चलता है कि पुरूषों की तुलना में स्त्रियों की जीवन प्रत्यशा कम थी। वर्तमान समय में स्त्रियों की जीवन प्रव्याशा बढ़ी है। पूर्व एशिया और पश्चिमी विकासशील देशों की तुलना में भारत मातृत्व मृत्यु दर बहुत अधिक है।

❖ अपराध

पिछले सालों में महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या बढ़ी है। । **सेठ मीरा (2001)** सूचित करती है कि नेशनल क्राइम ब्यूरो के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि 10 से 16 वर्ष की लड़कियों के बलात्कार की संख्या 1991 से 1995 के मध्य 28 प्रतिशत तक बढ़ी है। बलात्कार, दहेज के लिए हत्या और कन्या भ्रूण हत्या, बाल यौन शोषण, यौन शोषण आदि तमाम कानूनी प्रावधनों के बाद भी जारी है।

❖ लिंगानुपात

महिलाओं की प्रास्थिति का अंदाजा उनकी लिंगानुपात देखकर लगाया जा सकता है। जनगणना **1901** में लिंगानुपात **972**, जनगणना **1991** में लिंगानुपात **927** और जनगणना **2011** के अनुसार लिंगानुपात **940** है। उत्तर प्रदेश के लिए वर्तमान लिंगानुपात **804** है।

❖ राजनैतिक सहभागिता

महिलाओं की प्रास्थिति का आकलन उनके राजनैतिक महत्व के आधार पर लगाया जा सकता है। **सीमा सालगावकर (2006)** कहती है कि 73 वें और 74 वें संविधान संशोधन के परिणामस्वरूप स्थानीय सरकारों में महिला नेताओं को ग्रासरूट स्तर पर शक्तियाँ प्राप्त हुई है। वह आगे कहती है कि महिला मतदाताओं में खासा उत्साह है, परन्तु राजनीतिक सहभागिता अत्यन्त कम है। विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग पर राजनीतिक दल एक मत नहीं है। इस कारण महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को महत्व नहीं दिया जाता है।

पिछले समय की अपेक्षा वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति में सुधार विशेषकर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ और राजनीतिक क्षेत्र में हुए है। लिंग असमानता एक वैश्विक अवधारणा है जो स्थान दर स्थान, समय दर समय अलग होती है। सामाजिक आर्थिक आधारों पर देश दर देश लिंग

असमानता भिन्न होती है। महिलाओं के लिए आसान नहीं कि अपना स्तर उठाने के लिए स्वतन्त्र मार्ग चुन सके।

पिछले सालों में सफल महिलाओं की संख्या नगण्य है और उनका अभी भी शोषण और दमन हो रहा है। **के. एल. शर्मा (2007)** इंगित करते है कि भारत में महिला उत्थान के बहुत प्रयास किए गए है, मगर अभी भी महिलाए समतावादी जीवनशैली और मूल्यों के प्रभाव में पितृसत्ता के नियन्त्रण में है।

वर्तमान अध्ययन नरेन्द्रपुर गांव की महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता पर केन्द्रित है। इसमें मुख्य ब्राह्मण, यादव, पासी, चमार, डोम व मुस्लिम महिलाए है। ग्रामीण महिलाओं की स्थिति शहरी महिलाओं की तुलना में अत्यन्त दयनीय है। गांव के पिछ़डेपन के अनुसार महिलाए भी पिछ़ड़ी स्थिति में है। ग्रामीण परिवेश के अनुसार महिलाओं की घर की चारदीवारी के बाहर कोई अस्तित्व नहीं है। परम्परागत पितृसत्तात्मक पुरूषप्रधान समाज के सामंतवादी नजरिये के कारण महिलाओं को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

भारत की लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है, दूसरे शब्द में कहे तो देश के मानव-संसाधन का आधा हिस्सा महिलाए है। किसी भी देश का विकास बिना लिंग समानता के सम्भव नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेन्ट इन्डेक्स (एच. डी. आई.) 1995 के अनुसार सम्पूर्ण विश्व में महिलाओं के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। महिलाओं की गतिशीलता

का अध्ययन मात्र इसलिए नहीं महत्वपूर्ण है कि वह जनसंख्या का आधा हिस्सा है अपितु इसलिए भी क्योंकि सदियों से दीन-हीन, पददलित शोषित, सभी प्रकार की आजादी और गरिमा इनसे कोसो दूर रखा गया है। महिलाए किसी भी समुदाय का सबसे उपेक्षित और शोषित वर्ग होता है। पितृसत्ता एक मुख्य कारण है महिला शोषण के पीछे और कई अन्य कारण भी है। महिलाओं को कभी स्वतन्त्रता नहीं थी और उन्हें सदैव पुरूष नियन्त्रण में ही रहना पड़ता था। आर्थिक निर्भरता ही नहीं बल्कि जीवन के सभी पहलूओं पर महिलाए पुरूषों पर आश्रित थी। "नौकरी करके पैसा कमाना, महिलाओं की पारिवारिक जीवन को असंतुलित कर देगा।" साधारण लोग यही सोचते थे। इसी कारण महिलाओं की शिक्षा को दरकिनार कर दिया गया। अशिक्षा और सामाजिक अलगाव के चलते महिलाओं को राजनीतिक गतिविधियों के बारे में सोचने का अवसर ही नहीं मिला था।

उन्नीसवीं सदी के दौरान समाजसुधारकों ने स्त्रियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और स्त्री शिक्षा के लिए स्कूल खोले गये थे। प्रमुख समाज सुधारकों राजा राम मोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, महात्मा ज्योतिबा फुले, उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले, महादेव गोविन्द रानाडे है। इन्होंने स्त्रियों के खिलाफ कुप्रथाओं का विरोध व पुनर्जागरण फैलाया। महिलाओं की समानता केवल सामाजिक न्याय के लिए ही नहीं अपितु राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक विकास की मूलभूत आवश्यकता है।

आज भारतीय समाज एक संक्रमणकाल से गुजर रहा है। समाज और संस्कृति के विभिन्न पक्षों में बदलावों के साथ-साथ महिलाओं की स्थिति में भी परिवर्तन हो रहे है। वर्तमान समय में वह परिवर्तन जो कि भारतीय समाज में हो रहे है, उनके लिए आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण जो कि ब्रिटिश शासन काल की देन है, आजादी के बाद नई नीतियाँ और कार्यक्रमों जो किए गए थे, वह सब जिम्मेदार है। वह परम्परागत ढ़ांचा जो कि असमानता पर आधारित था, वह टूट रहा है। कागजी तौर पर ही सही समाज में स्त्रियों के प्रति दोयम दर्जे का व्यवहार समाप्त हो रहा है। आने वाले समय में समाज में यथार्थ रूप से स्त्रियों को समान अधिकार प्राप्त होगा।

शिक्षा का महिलाओं की सोच और मूल्यों पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके फलस्वरूप सभी पक्षों में गतिशीलता बढ़ी है। वर्तमान समय में नारीत्व की नई अवधारणा सामने आ रही, जिसने पारम्परिक स्त्री की चूल्हे-चौके और घर की चारदीवारी के अन्दर रहने वाली पहचान को चुनौती दे डाली है। भारतीय संविधान में सभी स्वतन्त्रता और समानता का कानूनी अधिकार दिया है, पर समस्या तो यहां यह है कि जिस समाज को कानून व न्याय देना है, वह स्वयं सदियों से नारी का शोषण व दमन करता आ रहा है। ऐसे में कौन सा कानून नारियों को समानता दे सकता है। ऐसे समाज में नारियों की स्वयं की भावनाओं, मूल्यों और सोच का कोई महत्व नहीं होता है। पितृसत्तात्मक समाज, धार्मिक प्रथाए और सामाजिक परम्पराएं महिलाओं की गतिशीलता और प्रास्थिति पर नियन्त्रण रखती है। महिलाओं की दशाओं में हो रहे परिवर्तन की गति बहुत धीमी है। धार्मिक

और नैतिक मूल्यों की कट्टरता के कारण ही परिवर्तन की गति धीमी है। इस कारण महिलाओं की स्थिति ही नहीं बल्कि महिलाओं की सोच और स्वनिर्णय में बाधाएं आती है। महिलाओं की गतिशीलता को समझने के लिए सामाजिक ढाँचे, सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक प्रतिमान और समाज की मूल्य व्यवस्था को समझना आवश्यक है। क्योंकि यह स्त्री और पुरूष दोनों के व्यवहार को नियन्त्रित करती है और समाज में महिलाओं की स्थिति निर्धारित करती है।

चन्द्रकला हाटे (1969) ने अपने अध्ययन में पाया कि अधिकांश अविवाहित उत्तरदाताओं ने स्वीकारा कि विवाह के पश्चात नौकरी करने की अनुमति नहीं मिलेगी। **विलियम गूडी (1963)** का कहना है कि अपनी मर्जी से विवाह करना तो दूर, इस विषय में सोचना भी वर्जित है। **कालारानी (1976)** ने पटना शहर में अध्ययन किया और पाया कि शिक्षित महिलाओं को भी नौकरियों में परम्परागत महिल भूमिका के पद ही दिए जाते है।

भारत में महिलाए अभी भी पिछड़ी स्थिति में है। वह महिलाए जो कि शहरों की तुलना में गांवों में निवास करती है, उनकी स्थिति और भी दयनीय है। इन महिलाओं को भी बदलाव के दबावों को झेलना पड़ रहा है, जिनसे शहरी महिलाए गुजर रही है। फर्क बस इतना है कि शहरी महिलाओं में जागरूकता अधिक है। इसलिए गतिशीलता की दर तेज है। ग्रामीण महिलाओं को परम्परागत परिवेश में आधुनिकीकरण के प्रभाव व समय की मांग के अनुसार परिवर्तन स्वीकार करने पड़ रहे है।

इस अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन व विश्लेषण करना है, जिसके लिए उनकी विवाह पूर्व प्रास्थिति और विवाह पश्चात प्रास्थिति, उनकी शैक्षणिक गतिशीलता, आर्थिक गतिशीलता का अध्ययन करके सामाजिक, आर्थिक परिवेश को समझ सकते है।

इस अध्याय के व्दारा राजनीतिक गतिशीलता का विश्लेषण भी किया गया है। विवाह, परिवार, धार्मिक और आनुष्ठानिक क्रियाकलापों के क्षेत्रों में सोच में परिवर्तन को भी समझने का प्रयास किया गया है। व्यक्ति की सोच व्यक्तित्व का निर्माण करती है, इसलिए यह अति आवश्यक है। इस अध्ययन में महिलाओं की सामाजिक सहभागिता और राजनैतिक सहभागिता का स्तर का अध्ययन मध्य उत्तर प्रदेश जिला बाराबंकी ग्राम नरेन्द्रपुर मदरहा महिलाओं के सन्दर्भ में किया गया है।

❖ समस्या का स्पष्टीकरण

मुख्य समस्या यह है कि महिलाओं को स्वतन्त्र व्यक्ति के रूप में नहीं स्वीकारा जाता है। सामाजिक गतिशीलता को मापने और अध्ययन करने के लिए आवश्यक है कि लिंग असमानता को स्वीकारा और समझा जाये। स्त्री को " संविधान में दिए गए बराबरी के अधिकार का कोई अर्थ नहीं है। यदि उसे लोगों ने दिमागी तौर पर स्वीकार नहीं किया है।" **दुबे लीला, इलीनर लीकॉक और शीरले आर्टनर (1986)** ने अवलोकन किया और पाया कि महिलाओं को शिक्षा, गतिशीलता, रोजगार, सम्पत्ति, आय और

निर्णय लेने के अधिकारों में सदैव पुरूषों की राय ही माननी पड़ती है। महिलाओं का पालन-पोषण ऐसे माहौल में किया जाता है, जिनमें दोयम दर्जे का इंसान होने का अहसास दिलाया है। हमारा सामाजिक ढ़ांचा स्त्री-पुरूष की सोच को निर्मित करता है, खास तौर से स्त्रियों की भूमिका को। उन्हें जो मूल्य दिए जाते है वे परिवार और वंश, विवाह और धार्मिक संस्कार। स्त्रियों को संस्कृति और परम्परा के नाम पर दोयम दर्जे का नागरिक बनाने वाली रूढिया हर धर्म में मौजूद है। क्योंकि सभी धर्म पितृसत्तात्मक ढांचों को मजबूत करने के लिए बने है।

एलीस थार्नर और ज्योति रनदीव (1985) ने झोपड़पट्टी और चॉल में रहने वाली कामकाजी महिलाओं पर कार्य किया। जो महिलाए कामकाजी है, उन्हें कुछ स्वायत्ता अवश्य मिली है, लेकिन इन महिलाओं का पारिवारिक जीवन पति के नियन्त्रण में ही रहता है। **राजमोहिनी सेठी (1976)** ने महिलाओं के रोजगार के विषय में निकाले है, महिलाओं के कामकाजी होने से उनकी घरेलू भूमिका जस की तस रहती है और परिवार में पारिवारिक वित्त में सहयोग करने से उनकी प्रास्थिति, भूमिका और शक्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आर्थिक रूप से सम्पन्न होने पर भी स्त्रियों को अपनी पुरानी अवस्था में ही रहना पड़ता है। स्त्रियों को परम्परागत ढांचे में लिंग आधारित भूमिका ही निभानी होती है। सामाजिक समानता और समाज सुधार के नारों के बीच स्त्री पुरूषत्तात्मक ढांचे में बंधुआ मजदूर की भांति दिन-रात की परवाह किए बिना काम किए जा रही है, जिस काम का कोई मूल्य नहीं है।

वर्तमान में जैसे-जैसे महिलाए रोजगार अपना रही है, विश्वविद्यालयों में महिला दाखिले बढ़ रहे है, वैसे-वैसे महिलाए अपनी पहचान एक व्यक्ति या समाज में पुरूष सदस्यों के समान सदस्य के रूप में सदस्यता चाहती है। वह परिवार और समाज के निर्णय लेने के अधिकार में बराबरी का हक चाहती है। इतिहास में महिला पहचान को पुनर्पहचान दिलाने की आवश्यकता है। भले ही परिवर्तन की गति धीमी है, परन्तु परम्परागत पुरूषसत्तात्मक ढांचे में दरार पड़ रही है। वह समय दूर नहीं जब पुरूष सत्तात्मक ढांचा पूर्णतया टूट जाएगा। अत: महिलाओं की प्रास्थिति की समस्या बहुत गम्भीर है और भारतीय समाज में संरचनात्मक सामाजिक असमानता की जड़ों में छुपी है।

महिलाओं की परिवर्तित हो रही है प्रास्थिति और गतिशीलता के पर कई अध्ययन किए जा चुके है, विशेषकर अनुसूचित जाति की महिलाओं के सन्दर्भ में। मध्य उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के नरेन्द्रपुर मदरहा गांव की महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन नहीं हुआ है। इसलिए अध्ययन का उद्देश्य सामाजिक गतिशीलता के विभिन्न आयामों का अध्ययन नरेन्द्रपुर मदरहा गांव की महिलाओं के सन्दर्भ में करना है।

ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता के अध्ययन के लिए आर्थिक स्थिति, व्यवसायिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और परिवार में निर्णय लेने के अधिकारों पर केन्द्रित किया गया है। समाज और इसके विकास पर प्रभाव पर पड़ता है, जिसके कारण गतिशीलता की दर में वृद्धि हुई है।

भारतीय समाज में ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन उपर्युक्त कारको पर होगा। भारत में ग्रामीण महिलाए विशेषकर जो कि उत्तर प्रदेश के गांवों में रहती है, उनकी गतिशीलता का अध्ययन आवश्यक है और अर्थपूर्ण है, जिससे महिलाओं को एक व्यक्ति, एक परिवार के सदस्य और समाज के एक सदस्य के रूप में प्रास्थिति और गतिशीलता के उभरते प्रतिमानों के रूप में समझा जा सके।

इस प्रकार हम नरेन्द्रपुर मदरहा गांव की महिलाओं का सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन कर सकेगे। वास्तव में नरेन्द्रपुर मदरहा गांव की महिलाओं की स्थिति और गतिशीलता के प्रतिमानों को समझ सकेगे। इस अध्ययन के माध्यम से महिलाओं में आए सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तनों और व्यवहारिक परिवर्तनों को भी जान सकेगे। इस प्रकार का अनुभवात्मक शोध सामाजिक-सांस्कृतिक मानवविज्ञान की शाखा ग्रामीण मानवविज्ञान में एक महत्वपूर्व योगदान होगा।

साहित्य पुनरावलोकन

बनार्ड बारबर ने 1957 में सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन **''बन्द जातीय व्यवस्था''** के परिपेक्ष्य में किया। उन्होंने अपनी पुस्तक **''सोशल स्ट्रेटीफिकेशन''** में सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले कारको का वर्णन किया है।

प्रो. पी. के. भौमिक ने पश्चिम बंगाल में **1969** में व्यवसायिक गतिशीलता का अध्ययन किया जिसका वर्णन **''आक्यूपेशनल मोबिलटी एन्ड कास्ट स्ट्रक्चर इन वेस्ट बंगाल''** में किया है। उन्होंने अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया है। जिसमें पाया कि व्यवसाय केवल मूलभूत जरूरतों को ही पूरा करने में ही सक्षम है और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाता है।

मुमताज अली खान ने **"शड्यूल कास्टस एन्ड दिपर स्टेटस इन द विलेज ऑफ मैसूर'' (1970)** पुस्तक में गतिशीलता के लिए शिक्षा के प्रभावों का विश्लेषण किया है। जिसमें पाया कि अन्य जातियों की तुलना में अनुसूचित जाति में शिक्षा के प्रति जागरूकता अधिक बढ़ी है।

शर्मा के. एल. ने राजस्थान के गांवों में व्यवसायिक गतिशीलता का अध्ययन किया जिसका वर्णन **"लेवेल्स ऑफ मोबिलटी इन कास्ट स्ट्रक्चर'' (1972)** लेख में किया है। जिसमें उन्होंने पाया कि जातिगत व्यवसाय संरचना में समयानुसार परिवर्तन हुए है। उच्च जातियों के लोग

आर्थिक दबावों के चलते अनुसूचित जाति के परम्परागत व्यवसायों को अपनाने लगे है।

सच्चिदानन्द ने अनुसूचित जाति के सभ्रान्तो की प्रास्थिति का वर्गीकरण किया जिसका वर्णन **"द हरिजन इलीट (1977)"** नामक पुस्तक में किया है। उन्होंने लिखा है कि एक नातेदारी समूह में कई प्रकार के आर्थिक स्तर के लोग होते है। अनुसूचित जाति के सभ्रान्त लोग समाज के उच्च जातियों के मध्य बिना किसी भेदभाव के शामिल कर लिए जाते है।

योगेन्द्र सिंह ने अपने लेख **"चेंजिंग पैटर्न आफ शोसल स्ट्रेटीफिकेशन इन इन्डिया" (1977)** में सामाजिक गतिशीलता के प्रतिमानों को दर्शाया है। **सान्थाकुमारी. आर.** ने केरल के पिछड़े वर्गों पर सरकारी लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रभावों का अध्ययन किया जिसका वर्णन **"इम्पैक्ट ऑफ वेलफेयर मेजर ऑन द बैकवर्ड क्लासेस, ए स्टडी आफ द शिड्यूल कास्ट आफ केरल (1976)"** में किया है। जिसमें उन्होंने पाया कि शिड्यूल कास्ट पर लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रभाव अपेक्षा से कम ही हुआ है। जिसका मुख्य कारण वह सामाजिक प्रतिरोध है जो कि निम्न जातियों पर सामाजिक तौर पर लगे हुए है। पिछड़े वर्गों में शिक्षा, व्यवसायिक आर्थिक गतिशीलता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। **सरदामोनी** ने पुलाया जाति की महिलाओं की दैनिक गतिविधियों का विस्तृत अध्ययन किया जिसका वर्णन **"फिलिंग द राइस बाउल, वूमेन इन पैडी कल्टीवेशन (1991)"** नामक पुस्तक में किया है। इसमें उन्होंने वर्णन किया कि कमजोर आर्थिक स्थिति वाले

परिवारों में महिलाए घरेलू कार्यों के अलावा कृषि कार्यों में भी हाथ बटाती है। **जोसेफ मैथ्यू** ने अपनी पुस्तक **"आइडियोलॉजी प्रोटेस्ट एन्ड सोशल मोबिलटी"** ने केरल की पुलाया व महाराष्ट्र के महार जाति के मध्य सामाजिक गतिशीलता के विभिन्न कारकों का अध्ययन किया है। **निर्मला बाई** ने अपने पुस्तक **"हरिजन वूमेन इन इन्डीपेंडेन्ट इन्डिया (1986)''** पुलाया जाति की महिलाओं की व्यवसायिक गतिशीलता का अध्ययन किया है। **थारा बाई** ने सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक गतिशीलता के अध्ययन के लिए दो अनुसूचित जातियों का चयन किया और पाया कि सामाजिक गतिशीलता के लिए ईसाई मिशनरियाँ और आधुनिक सोच जिम्मेदार कारण है। **लीला कुमारी** ने **"सोशल मोबिलिटी एंमग शिड्यूयल कास्ट वूमेन (1989)''** नामक पुस्तक में गतिशीलता के विभिन्न क्षेत्र और कारकों का वर्गीकरण किया है।

❖ अध्ययन का मानवविज्ञान में महत्व

मानवविज्ञान शब्द की अगर हम न्यूनतम परिभाषा देखे तो इसे **''मानव का वैज्ञानिक अथवा शास्त्रीय अध्ययन''** कहा जाता है। मानव के जैविक, सांस्क़तिक एवं सामाजिक आयामों का विज्ञानात्मक अध्ययन मानवविज्ञान करता है जो कि मानव की उत्पत्ति से लेकर अब तक का अध्ययन करता है। प्राकृतिक विज्ञानों को छोड़कर लगभग सभी शास्त्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न अंशों में मनुष्य से सम्बन्धित किसी पक्ष विशेष का अध्ययन करते है। उदाहरण के लिए राजनीति शास्त्र राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। मानवविज्ञान ही एक मात्र ऐसा विषय है जो

"मनुष्य के सभी पक्षों का समाकलित अध्ययन मानवविज्ञान के अन्तर्गत किया जाता है।"

जब हम मानव जाति के अध्ययन की बात करते है तो इसमें महिलाए भी शामिल है। भारत की जनसंख्या का 49% महिलाए है। जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं का लिंगानुपात 940 महिलाए प्रति 1000 पुरूषों पर है। यदि हम शैक्षिक स्तर को देखे तो पाते है कि पुरूषों की शिक्षा दर 65.46% है वहीं महिलाओं का 65.46% है। शहरी महिलाओं की शिक्षा दर 79.17% है तो ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा दर 57.9% है। दूसरे शब्दों में कहे तो देश के मानव संसाधन का आधा हिस्सा महिलाएं है। किसी भी देश का विकास बिना लिंग समानता के सम्भव नहीं है। **ह्यू मन डेवलपमेन्ट इन्डेक्स (1995)** के अनुसार सम्पूर्ण विश्व में महिलाओं के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन मात्र इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वह जनसंख्या का आधा हिस्सा है, अपितु इसलिए भी क्योंकि सदियों से महिलाओं को दीन-हीन, पददलित शोषित, सभी प्रकार की आजादी और गरिमा से कोसों दूर रखा गया है। महिलाए किसी भी समुदाय का सबसे उपेक्षित और शोषित वर्ग होता है। आर्थिक निर्भरता, अशिक्षा और सामाजिक अलगाव के चलते महिलाओं को राजनीतिक गतिविधियों के बारे में सोचने का अवसर नहीं मिला था।

आज भारतीय समाज एक संक्रमणकाल से गुजर रहा है। समाज और संस्कृति के विभिन्न पक्षों में बदलावों के साथ-साथ महिलाओं की स्थिति

में भी परिवर्तन हो रहे है। वर्तमान समय में जो परिवर्तन भारतीय समाज में हो रहे है उनको सम्पूर्णता से समझने के लिए महिलाओं की गतिशीलता को समझना होगा।

❖ शोध प्रश्न

निम्न शोध प्रश्नों का चयन सामाजिक गतिशीलता के सन्दर्भ में किया गया है :-

1) गांव की महिलाओं की गतिशीलता की प्रकृति?

2) गांव की महिलाओं की विवाह पश्चात परिवार में प्रास्थिति विशेषकर निर्णय लेने के अधिकार और सम्पत्ति के अधिकार आदि के विषय में?

3) गांव की महिलाओं की प्रकृति किस प्रकार की है?

4) गांव की महिलाओं व्यवसायिक गतिशीलता की प्रकृति किस प्रकार की है?

5) गांव की महिलाओं की निर्णय लेने के अधिकारों में आई गतिशीलता को समझना?

6) गांव की महिलाओं की राजनैतिक गतिशीलता की प्रकृति किस प्रकार की है?

शोध प्रविधियाँ

मानव विज्ञान के क्षेत्र में कई प्रविधियां प्रयोग होती है। क्षेत्रकार्य में तथ्यों के संकलन के लिए जिन प्रमुख प्रविधियों का प्रयोग किया गया है वह निम्न है :-

- **अवलोकन –** स्वयं द्वारा निरीक्षण करके जानकारी प्राप्त करना अवलोकन कहलाता है। प्रस्तुत शोध में सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया गया है। इस प्रविधि का प्रयोग शोधकर्ता द्वारा महिलाओं के दिन-प्रतिदिन की जीवनशैली को समझने में प्रयोग किया है। महिलाओं की शैक्षिक, राजनीतिक और सामाजिक गतिशीलता की जानकारी प्राप्त करने में प्रयोग किया गया है। अर्धसहभागी प्रकार का अवलोकन प्रयोग किया गया है।

- **साक्षात्कार –** इस शोध में साक्षात्कार की दो विधियों का प्रयोग किया गया है। व्यैक्तिक और समूह साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं की गतिशीलता के बारे में जानकारी प्राप्त की गई है। इसमें विषय से सम्बन्धित प्रश्नों को पूछ कर आंकडे संकलित किए गए। अर्धसंरचित प्रकार का साक्षात्कार प्रयोग किया गया है। जिसमें कुछ प्रश्नों का चयन पहले से किया गया था और कुछ प्रश्न स्थिति के अनुसार पूछे गए।

❖ **साक्षात्कार अनुसूची –** इस विधि के अन्तर्गत तथ्यों से संबंधित प्रश्नों की सूची तैयार कर अनुसंधानकर्ता स्वयं सूचनादाता के समक्ष जाकर तथ्यों की जानकारी प्राप्त करता है। क्षेत्र में जाने से पूर्व अनुसूची का अपने वरिष्ठ सहयोगियों के माध्यम से पूर्व परीक्षण करके प्रश्नों को चेक कर लिया था। मैने स्वयं सूचनादाता के समक्ष जाकर अनुसूची के माध्यम से तथ्य संग्रह किया। अनुसूची के प्रश्नों को जब उत्तरदाता नहीं समझ पाते उस समय उनको विस्तृत रूप से प्रश्नों को समझाया। जिससे वह अपने विचारों को स्पष्ट कर सके। मैने विषय से संबंधित सूचनाए तुरन्त ही लिखने लेने का प्रयास किया क्योंकि बाद में आंकडे भूल जाने का भय रहता है।

❖ **वंशावली –** वंशावली के प्रयोग से सूचनादाताओं की तीन पीढ़ीयों की सामाजिक गतिशीलता को समझने का प्रयास किया है। वंशावली से पीढ़ी दर पीढ़ी शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक-सांस्कृतिक गतिशीलता के तथ्यों का संकलन किया है।

❖ **दैनिक डायरी –** यह ऐसा माध्यम है जो शोध कार्य में शोधकर्ता की मदद करता है। शोध क्षेत्र में किए गए अवलोकन, साक्षात्कार को प्रतिदिन अपनी डायरी में लिखता है, जिसके आधार पर तथ्यों का विश्लेषण एवं वर्गीकरण किया गया है।

❖ **द्वितीय स्त्रोत –** द्वितीयक या प्रलेखीय स्त्रोतों के अन्तर्गत सरकारी आंकडे, इंटरनेट, मैगजीन, जनगणना 2011 रिपोर्ट, सामाचार पत्र व पुस्तकों की सहायता ली गई।

शोध में कठिनाइयाँ

सामाजिक शोधकर्ता के लिए शोध के दौरान कई चुनौतियाँ होती है। क्योंकि मानव कई सांस्कृतिक व सामाजिक पहलुओं से घिरा होता है। जिसे यथावत रूप में प्रस्तुत करना असम्भव होता है। शोध के लिए समय व धन दोनों की कमी होती है। अन्य शोधों की तरह धन और समय की कमी विशेष रूप से सामने आई। समय व धन की कमी के कारण सूक्ष्मता से शोध नहीं किया जा सका है। शोध विषय महिलाओं से सम्बन्धित था। महिलाओं से सम्पर्क स्थापित करने और साक्षात्कार करने में बेहद मुश्किल हुई। महिलाएं जब घर के कामों से मुक्त होती थी, तब ही जानकारी देने को तैयार होती थी। इस शोध में महिलाओं से जब परिवार में निर्णय लेने के अधिकार सम्बन्धी प्रश्न पूछे गए तो कई उत्तरदाताओं ने उत्तर देने से मना कर दिया और कहा कि "हमारे घर में क्या होता है इससे आपको क्या मतलब?" पुन: शोध के विषय में विस्तार से बताने पर उत्तर देने के लिए राजी हुई।

क्षेत्र एवं निवासी

उत्तर प्रदेश

❖ उत्तर प्रदेश का इतिहास

उत्तर प्रदेश का ज्ञात इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है जब वैदिक सभ्यता का प्रारम्भ हुआ। संसार के प्राचीनतम शहरों में एक माना जाने वाला वाराणसी शहर यही पर स्थित है। वाराणसी के पास स्थित सारनाथ का चौखन्डी स्तूप भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन की याद दिलाता है।

राज्य का विभाजन – उत्तर प्रदेश के गठन के तुरन्त बाद उत्तराखण्ड क्षेत्र में समस्याएं उठ खडी हुई। इस क्षेत्र के लोगों को लगा कि विशाल जनसंख्या और वृहद भौगोलिक विस्तार के कारण लखनऊ स्थित राजधानी में उनकी समस्याओं का निराकरण सम्भव नहीं है। अत: विरोध प्रदर्शन आरम्भ हो गए। नवम्बर 2000 में उत्तर प्रदेश के पश्चिमोत्तर हिस्से से उत्तरांचल नामक एक नए राज्य का गठन किया गया।

❖ भौगोलिय तत्व

- **भूमि –** उत्तर प्रदेश को विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों – गंगा के मध्यवर्ती मैदान और दक्षिणी उच्चभूमि में बांटा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के

कुल क्षेत्रफल का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा गंगा के मैदान में है। यह मैदान गंगा व उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ अवसादों से बने है। गंगा के मैदान की दक्षिणी उच्चभूमि अत्याधिक विच्छेदित और विषम विन्ध्य पर्वतमाला का एक भाग है।

- **नदियाँ –** उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां गंगा, घाघरा, गोमती, यमुना, चम्बल और सोठ आदि प्रमुख है।

- **मृदा –** उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग दो तिहाई भाग गंगा व उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ मिट्टी से बना है। यह जलोढ मिट्टी कहीं रेतीली है तो कहीं चिकनी दोमट है। राज्य के दक्षिणी भाग की मिट्टी मिश्रित लाल और काली या लाल से लेकर पीली है।

- **जलवायु –** उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। राज्य में औसत तापमान जनवरी में 12.50 सें. 17.50 सें. रहता है। जब कि मई जून में यह 27.50 सें 32.50 सें. के बीच रहता है। राज्य में 90 प्रतिशत वर्षा दक्षिण-पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। जो जून से सितम्बर तक होती है। राज्य के पूर्वी हिस्से बाढ़ से प्रभावित होते है।

- **वनस्पति –** राज्य में वन मुख्यत: दक्षिण उच्चभूमि पर केन्द्रित है, जो ज्यादातर झाड़ीदार है।

- **जनजीवन –** 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या बढी है। जनसंख्या लैंगिक अनुपात प्रति 1000 पर महिलाओंकी संख्या 908 दर्ज किया गया है। 2001 के 876 के मुकाबले बेहतर है। गंगा के मैदानी इलाकों में सर्वाधिक जनघनत्व है।

❖ अर्थव्यवस्था

- **संसाधन –** यह मुख्यत: कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की तीन चौथाई से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। राज्य में खनिज पदार्थों में सिलिका, चूना पत्थर व कोयला , जिप्सम, मैग्नेटाइट, फास्फोराइट और बाक्साइट के अल्प भण्डार पाए जाते है।

- **कृषि एवं वानिकी –** राज्य मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, जौ और गन्ना राज्य की प्रमुख फसले है। गेहूँ व चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पशुधन व डेयरी उद्योग आय के अतिरिक्त स्त्रोत है। उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर के मुकाबले सर्वाधिक पशु पाए जाते है। हालांकि प्रति गाय दूध का उत्पाद कम है।

- **उद्योग –** वस्त्र उद्योग व चीनी प्रसंस्करण उद्योग में राज्य के कुल मिल कर्मियों का एक तिहाई हिस्सा लगा है। वनस्पति तेल, जूट व सीमेन्ट उद्योग भी है। केन्द्र सरकार ने भेल, इस्पात, वायुयान, टेलीफोन, इलेक्ट्रानिक उपकरण व उर्वरकों के उत्पादन के बहुत से बड़े कारखाने स्थापित किए है। हस्तशिल्प, कालीन, पीतल की वस्तुएँ, जूते चप्पल, चमड़े व खेल का सामान राज्य के निर्यात में प्रमुखता से योगदान देते है।

- **यातायात व परिवहन –** राज्य के प्रमुख शहर व नगर सड़कों व रेल सम्पर्कों से जुड़े है। सड़कों की स्थिति खराब है। रेल की बड़ी और छोटी लाइने कार्यरत है। उत्तर प्रदेश के मुख्य नगर वायुमार्ग द्वारा दिल्ली व भारत के अन्य शहरों से जुड़े हुए है। राज्य के भीतर के परिवहन तंत्र में गंगा, यमुना और घाघरा नदियों की अंतर्देशीय जल परिवहन व्यवस्था भी शामिल है।

- **आवासीय संरचना –** राज्य की 80 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। लखनऊ, वाराणसी, आगरा, कानपुर और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के पाँच सबसे बड़े नगर है। इन शहरों की आबादी एक लाख से अधिक है।

- **सांस्कृतिक जीवन –** उत्तर प्रदेश हिन्दुओं की प्राचीन सभ्यता का उदगम स्थल है। उत्तर प्रदेश भारत की राजकीय भाषा की हिन्दी की

जन्मस्थली है। उर्दू के प्रमुख शायर फिराक, जोश मलीहाबादी, आदि प्रसिद्ध है।

- **संगीत –** संगीत उत्तर प्रदेश के निवासियों के जीवन में अहम स्थान रखता है इसके मुख्य प्रकार निम्न है :-

    1. पारम्परिक संगीत व लोक संगीत
    2. शास्त्रीय संगीत
    3. हिन्दी फिल्मी संगीत व भोजपुरी पॉप संगीत

- **नृत्य –** उत्तर प्रदेश का विश्वप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य **'कथक'** है। कथक नाम **"कथा"** शब्द से बना है। इस नृत्य में नर्तक किसी कहानी या संवाद को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करता है। कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार बिरजु महाराज है। फरी नृत्य, जांघिया नृत्य, कहरवा, कजरी सोहर प्रमुख लोक संस्कृतियां है।

- **जनसंख्या –** उत्तर प्रदेश भारत का सबसे जनसंख्या के आधार पर राज्य है। करीब 19,95,81,477 की जनसंख्या के साथ उत्तर प्रदेश विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला उपराष्ट्रीय इकाई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है।

उत्तर प्रदेश : एक नजर में

क्षेत्रफल	2,90,वर्ग किमी 928.
राजधानी	लखनऊ
स्थिति	25°30 उत्तरी अक्षांस से 52°23 3°77 उत्तरी अक्षान्स तथापूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर 39°84
जनसंख्या	19,95,81,477 (2011 जनगणना)
पुरुष	104596415
महिला	94985415
जनसंख्या घनत्व	828 वर्ग किमी
लिंगानुपात	908 (महिला प्रति हजार)
साक्षरता	69.72 (2011)
पुरुष	79.24 प्रतिशत
महिला	59.26 प्रतिशत
कुल ज़िला	75
मण्डल	18
तहसील	312
नगर निगम	689
सामुदायिक विकास खण्ड	820

न्याय पंचायते	8, 135
ग्राम सभाए	51, 976
आबादी ग्राम	97,941
विधानसभा सीट	904
लोकसभा सीट	80
विधान परिसद सदस्य	100
राज्य सभा सीट	31
कुल नगर	32
नगर महापालिका	12
दूरदर्शन केंद्र	2
कुल राष्ट्रीय राजमार्ग	4942
प्रदेश से होकर गुजरने वाले राजमार्ग	31
जन्म दर	31.3 प्रतिशत
मृत्यु दर	9.5 प्रतिशत
मानव विकास सूचकांक	13
प्रति व्यक्ति आय	23132 रूपये (2009-2010)
कार्य सहभागिता दर	33.7 प्रतिशत
विश्वविद्यालयोँ की संख्या	30
उच्च न्यायालय	इलाहाबाद (खण्डपीठ- लखनऊ)

भाषा	हिन्दी (उर्दू दूसरी राजभाषा)
राजकीय पशु	बारहसिंगा
राजकीय पक्षी	सारस या क्रौँच
राजकीय पेड़	अशोक
राजकीय पुष्प	पलाश
राजकीय चिन्ह	मछली एवँ तीर कमान
स्थापना दिवस	1 नवम्बर, 1956

बाराबंकी जिले का इतिहास

बाराबंकी जिले को **"पूर्वांचल का प्रवेश द्वार"** कहा जाता है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह जिन्होंने संदेश दिया था कि **"जो रब वहीं राम है"** की कर्मभूमि बाराबंकी है। धार्मिक ग्रन्थों में वर्णित **भगवान वाराह** ने इस भूमि पर अवतार लिया था इसलिए इसे **"बानहन्या"** कहा जाने लगा जो कि कालान्तर में बाराबंकी कहलाया।

कहावतों के अनुसार सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी अयोध्या का यह एक हिस्सा था। राजा 'दशरथ' और उनके पुत्र राम के कुलगुरू महर्षि वशिष्ठ ने सप्तर्षि नामक स्थान पर शिक्षा प्रदान जो कि कालान्तर में सतरिख कहलाया है।

परिजात विश्व का अनोखा वृक्ष जिसके बारे में लोग कहते है कि पाण्डू पुत्र अर्जुन उसे स्वर्ग लाए थे। **कुन्तेश्वर महादेव** हजारों वर्ष पुराना शिव मन्दिर है, **लोधेश्वर महादेव** मन्दिर जो कि प्रमाण है कि हजारों वर्ष पूर्व **महाभारत काल** में यह एक महत्वपूर्ण स्थान था।

सन 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम में **राजा बलभद्र सिंह चेल्हरी** ने बाराबंकी की अगुवाई की थी। **रफी अहमद किदवई** ने बाराबंकी जिले के मुख्यालय से **खिलाफत आन्दोलन** का समर्थन किया था।

❖ भौगोलिक स्थिति

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पूर्व दिशा में 29 किमी.की दूरी पर स्थित है। यह फैजाबाद डिवीजन के चार जिलों एक है और अवध प्रान्त के मध्य में स्थित है। यह 26°30 उत्तरी अक्षांश से 27°19 उत्तरी अक्षांश तथा 80°58 पूर्वी देशान्तर से 81°55 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। बाराबंकी जिले को पूर्व की ओर से फैजाबाद, उत्तरी पूर्व की ओर से गोन्डा और बहराइच, उत्तर पश्चिम की ओर से सीतापुर और पश्चिम की ओर लखनऊ जिला, दक्षिण की ओर रायबरेली, उत्तर पूर्व की ओर सुल्तानपुर जिला स्थित है। घाघरा नदी के व्दारा बाराबंकी जिले को बहराइच और गोण्डा से अलग देखा जाता है।

❖ **प्रमुख आकर्षण केन्द्र –** सूफी सन्त हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा, लोधेश्वर महादेव मन्दिर, परिजात वृक्ष किन्तूर

❖ आवागमन

- **वायुमार्ग –** वायुमार्ग से आवागमन के लिए 29 किमी. दूर चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ में स्थित है।

- **सड़क मार्ग –** राष्ट्रीय राजमार्ग 24A, 28C और 56A राज्य से गुजरते है। सड़कमार्ग द्वारा प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश

राज्य परिवहन के यातायात वाहन बाराबंकी मुख्य बस अड्डे से प्रमुख स्थानों के लिए उपलब्ध है।

जनसंख्या –

कुल	-	26,73,581
पुरूष	-	14,16,921
महिलाए	-	12,56,60

नरेन्द्रपुर मदरहा

नरेन्द्रपुर मदरहा गांव ब्लाक त्रिवेदीगंज और तहसील हैदरगढ़ के अन्तर्गत आता है। जिला मुख्यालय बाराबंकी से दक्षिण की ओर 36 किमी. की दूरी पर स्थित है। ब्लाक त्रिवेदीगंज से 6 किमी. की दूरी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 43 किमी. की दूरी पर स्थित है।

जरौली, दहिला, शिवनाम, अखैरय्या पुर, जगतखेड़ा प्रमुख गांव है जो नरेन्द्रपुर मदरहा के आस-पास स्थित है। नरेन्द्रपुर गांव को पूर्व की ओर हैदरगढ तहसील दक्षिण की ओर शिवगढ तहसील, उत्तर की ओर सिधॉली तहसील और पश्चिम की ओर गोसाइगंज तहसील स्थित है। हिन्दी यहाँ की स्थानीय भाषा है।

नरेन्द्रपुर मदरहा गांव पहुचने के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन त्रिवेदीगंज है। हैदरगढ बस स्टेशन से प्रमुख स्थानों के लिए बस उपलब्ध है।

गांव में 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। गांव की कुल जनसंख्या 1373 है जिसमें पुरूषों की संख्या 734 है और महिलाएं 639 है। गांव में लगभग 52 प्रतिशत ब्राह्मण जाति, 25 प्रतिशत यादव जाति, 16 प्रतिशत पासी जाति, 2 प्रतिशत चमार जाति, 5 प्रतिशत डोम जाति के लोग निवास करते है। गांव में शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय व माध्यमिक विद्यालय है। माध्यमिक से आगे की शिक्षा के लिए त्रिवेदीगंज में स्थिर सरकारी इंटर कालेज तक जाना पड़ता है। स्नातक के लिए भी गांव से 6 किमी. की दूरी पर प्राइवेट महिला महाविद्यालय स्थित है।

शैक्षिक गतिशीलता

गांव की महिलाओं की शैक्षिक गतिशीलता के अध्ययन के लिए तीन पीढ़ीयों का चयन किया गया। प्रथम पीढ़ी जिसमें परिवार की बुजुर्ग महिलाएं, द्वितीय पीढ़ी में परिवार की घर की बहुओं को और तृतीय पीढ़ी के अन्तर्गत युवा वर्ग की लड़कियों को शामिल किया गया। इन तीनों पीढ़ीयों के शिक्षा स्तर की जानकारी के आधार पर शैक्षिक गतिशीलता का अध्ययन किया गया है।

महिलाओं की शैक्षिक गतिशीलता का अध्ययन तीन पीढ़ीयों के सन्दर्भ में किया गया।

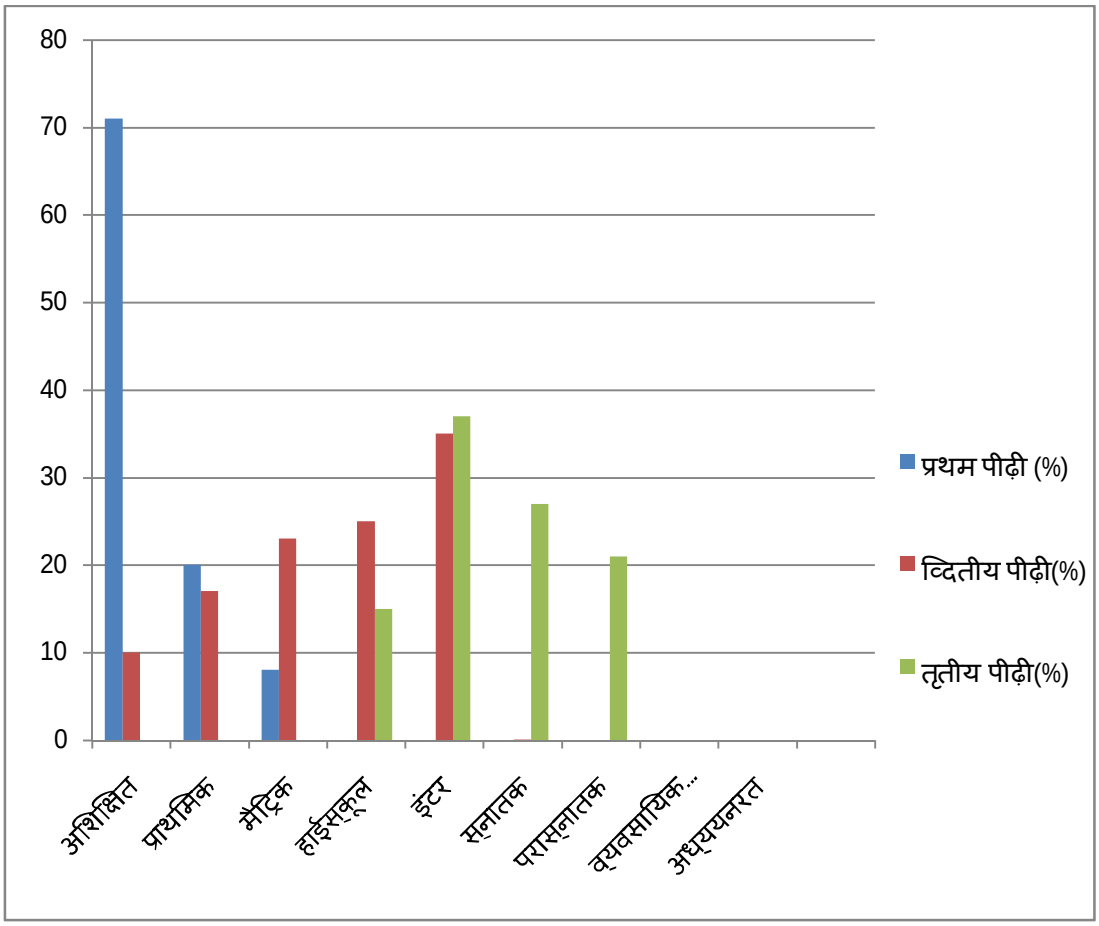

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि प्रथम पीढ़ी की उत्तरदाताओं में से लगभग तीन चौथाई (71.00%) महिलाए अशिक्षित है, जबकि (10%) महिलाएं अशिक्षित द्वितीय पीढ़ी में है और तृतीय पीढ़ी में कोई भी उत्तरदाता अशिक्षित नहीं है। द्वितीय पीढ़ी की महिलाए अपने पुत्रियों की शिक्षा के प्रति जागरूक है। यह प्रमाणित करता है कि महिलाओं में शिक्षा के प्रति रूचि है और शिक्षा दर बढ़ रही है।

तथ्यों से ज्ञात होता है कि द्वितीय पीढ़ी में शिक्षा का स्तर प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा बढ़ा है और लगभग (45%) उत्तरदाताओं ने हाईस्कूल से आगे की शिक्षा ग्रहण की है। जबकि प्रथम पीढ़ी की उत्तरदाताओं ने शिक्षा मेट्रिक तक ही शिक्षा ग्रहण की है। वहीं तीसरी पीढ़ी के उत्तरदाताओं ने कम से कम हाईस्कूल तक की शिक्षा पाई है। प्रथम पीढ़ी की उत्तरदाताओं में परास्नातक या व्यवसायिक प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं की संख्या शून्य है। जबकि द्वितीय पीढ़ी की महिलाओं में (7%) स्नातक और (3%) महिलाए परास्नातक है। जबकि तृतीय पीढ़ी में स्नातक (27%) और परास्नातक (21%) है।

उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर यह माना जा सकता है कि उत्तरदाताओं द्वारा शिक्षा में गतिशीलता की दर बहुत कम है। प्रथम पीढ़ी यानि 65 वर्ष या उससे ऊपर की महिलाओं में अधिकतर महिलाएं अशिक्षित है। केवल मेट्रिक के स्तर तक अधिकतम शिक्षा प्राप्त की है। वहीं द्वितीय पीढ़ी के उत्तरदाता जो कि 45 से 64 वर्ष की आयु की महिलाए

है उनमें ज्यादातर महिलाओं ने बारहवीं की शिक्षा प्राप्त की है और कुछ स्नातक और कुछ परास्नातक है। तृतीय पीढ़ी जो कि 25 से 44 वर्ष की आयु की महिलाए है उनमें ज्यादातर महिलाए स्नातक है और कुछ परास्नातक भी है।

शैक्षिक गतिशीलता को दर्शाते हुए प्रमुख केस स्टडी निम्न है :-

1) श्रीमती रेखा जो कि विवाहित महिला नरेन्द्रपुर मदरहा गांव में निवास करती है। उनके दो पुत्र व एक पुत्री है। वह स्वयं हाईस्कूल पास है। उनकी माता अशिक्षित थी लेकिन उनके दोनो पुत्र स्नातक (वाणिज्य) है और पुत्री इंटरमीडिएट मे अध्ययनरत है। यह उदाहरण शैक्षिक गतिशीलता को प्रमाणित कर रहा है जिसमें शिक्षा का स्तर अशिक्षित से स्नातक स्तर तक पहुंच गया है। यह महिलाओं की शैक्षिक गतिशीलता को प्रमाणित करता है।

2) श्रीमती कंचन जो कि नरेन्द्रपुर मदरहा गांव में निवास करती है। वह स्वयं आठवीं पास है और उनकी माता अशिक्षित थी। श्रीमती कंचन के दो पुत्रियां है, पहली पुत्री स्नातक (कला वर्ग) पास है और गृहणी है। दूसरी पुत्री परास्ना तक (हिन्दी) एक निजी विद्यालय में अध्यापन करती है। अशिक्षित से परास्नातक स्तर तक की शिक्षा की गतिशीलता एक ही परिवार की तीन पीढ़ीयों के मध्य उपस्थित है।

यह दर्शाता है कि गांव की महिलाओं का शिक्षा का स्तर धीरे-धीरे बढ़ रहा है। यद्यपि महिलाओं में शैक्षिक गतिशीलता पाई गई है मगर उनमें से बहुतों ने अपनी शिक्षा का प्रयोग नौकरी या रोजगार पाने नहीं किया है। उनका कहना है कि वह पुत्रियों को शिक्षा इसलिए देती है कि उनकी शादी हो जाए और आगे उनके पति और ससुराल वालों की इच्छा कि वह नौकरी कराये या नहीं। उनके अनुसार एक स्त्री की प्राथमिकता उसका घर और बच्चे होती है। यदि जरूरत होती है और यदि पति चाहे तो वह नौकरी कर सकती है अन्यथा परिवारिक व्यवसाय या घरेलू दुकानों से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकती है। उपरोक्त सारणी के अवलोकन से एक और बात स्पष्ट होती है कि बहुतायत स्नातक पास करने वाली स्नातक कला वर्ग, स्नातक वाणिज्य है उनमें से किसी ने भी बी.एस.सी. या बी.सी.ए. नहीं किया है। जो कि दर्शाता है कि अभिभावक चाहते है कि उनकी पुत्री घरेलू कामों को सीखे, इसलिए बी.ए. या बी.कॉम में प्रवेश दिलाते है। क्योंकि इन के विषयों में कम कक्षाएं अपेक्षा बी.एस.सी. के होती है। जिससे वह घरेलू कार्यों में ध्यान दें, न कि दिन भर कॉलेजों में पढ़ती रहे। दूसरा कारण यह है कि अभिभावक केवल विवाह की आवश्यक माँग की लड़की स्नातक हो इसलिए वह औपचारिकता पूरी करने के लिए स्नातक पढ़ते है। जब तक शादी न हो लड़की पढ़ाई में व्यस्त रहे बाकी तो उसे घर-गृहस्थी और बच्चे संभालने है।

❖ महिलाओं पर शैक्षिक गतिशीलता के प्रमुख प्रभाव

हमारे देश की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। जब महिलाएं शिक्षा के प्रति जागरूक होगी तो वह अपने कर्तव्यों और अधिकारों को जान सकेगी। जो कि घर, परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास की आवश्यक माँग है। महिलाओं की शैक्षिक गतिशीलता के अध्ययन के निष्कर्ष के रूप में निम्न तथ्य सामने आए है जो कि दर्शाते है कि महिलाओं के शिक्षित होने से प्रमुख कौन-कौन से बदलाव आए है।

❖ स्त्री शिक्षा का स्वयं के स्वास्थय पर प्रभाव

हमारे देश की प्राचीन काल से परम्परा चली आ रही है कि घर की महिलाए परिवार के सभी पुरूष सदस्यों को खाना खिलाने के बाद बचा-खुचा खाना स्वयं खाती और अपनी पुत्रियों को खिलाती है। अपनी पुत्रियों को बचपन से ही परम्परागत सांचे में ढ़ालना प्रारंभ कर देती है। यदि माँ शिक्षित होती है तो उसे स्वस्थ जीवन जीने के तरीके मालूम होते है। वह स्वयं अपनी सेहत का ध्यान रखती है और अपने बच्चों व परिवार की सेहत पर नजर रखती है। शिक्षित महिला जानती है यदि वह स्वयं स्वस्थ नहीं रहेंगी तो बाकी लोगों का ध्यान कैसे रखेगी। उसे पता है कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां आयरन, कैल्शियम की गोलिया मिलती है जिनके सेवन से वह स्वस्थ रह सकती है।

❖ स्त्री शिक्षा का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव

शिक्षित महिला सीमित परिवार के फायदे जानती है। वह संतानों को अल्लाह की देन या भगवान की नेमत नहीं मानती है। वह समझती है कि कम संतानों का भरण-पोषण भली भांति किया जा सकता है। इसलिए परिवार नियोजन के तरीको का प्रयोग करती है। शिक्षित महिला बच्चों के जन्म के बीच में एक निश्चित अंतराल रखती है जिससे उनके पालन-पोषण में परेशानी न हो।

❖ स्त्री शिक्षा का बच्चों के स्वास्थ पर प्रभाव

- **नवजात मृत्युदर –** शिक्षित महिलाए गर्भावस्था के प्रारम्भ से नियमित रूप से डाक्टरी जांच और डाक्टरी सलाह लेती है और समयानुसार दवाइयां और टीकाकरण करवाती है। इस तरह शिशु को गर्भ में होने वाली कई घातक बीमारियों से बचाती है। स्त्री शिक्षा के बढ़ने से शिशु मृत्यु दर में कमी आई है।

❖ माँ की शिक्षा का किशोरावस्था में पुत्री के स्वास्थ और पोषण पर प्रभाव

शिक्षित माँ को लड़कियों में किशोरावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक व मानसिक परिवर्तनों का ज्ञान होता है। ऐसी स्थिति में लड़कियों

के स्वास्थ और पोषण पर ध्यान देना अति आवश्यक होता है। शारीरिक बदलावों के कारण उन्हें अधिक पोषण और आयरन वाले खाद्य पदार्थ देने चाहिए। शिक्षित माँ ही एक मित्र के रूप में अपनी पुत्री का मार्गदर्शन कर सकती है। माँ की शिक्षा का किशोरावस्था में पुत्री के स्वास्थ और पोषण पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है।

❖ स्त्री शिक्षा और "पुत्र की चाहत"

भले ही हम साइबर युग में जी रहे हो मगर पितरों के तर्पण के लिए आज भी पुत्र ही चाहिए होता है। प्रत्येक नवविवाहित जोडे की इच्छा होती है कि उनकी पहली संतान पुत्र हो। कई बार पुत्र चाहत में लोग बहुत सारे बच्चे पैदा कर लेते है जिनका भरण-पोषण करने की क्षमता नहीं होती है। ऐसे में शिक्षित स्त्री सीमित परिवार को ज्यादा महत्व देती है। शिक्षित महिला पुत्र और पुत्री में कोई फर्क नहीं करती है। वह पुत्रियों को पुत्रों के बराबर मानती है। ऐसे में स्त्री शिक्षा के प्रभाव से देश की बढती आबादी नियंत्रित होती है।

❖ माँ की शिक्षा का पुत्री की शिक्षा और विवाह पर प्रभाव

यदि माँ पढ़ी-लिखी होती है तो यदि कभी जीवन में जरूरत पड़े तो वह आत्मनिर्भर हो सकती है। शिक्षित माँ अपनी पुत्री को घरेलू कार्यों में न लगाकार शिक्षा की ओर प्रेरित करती है। माँ चाहती है कि विवाह के पूर्व वह आत्मनिर्भर बनने के लिए शिक्षा ग्रहण कर लें। क्योंकि किसी भी व्यक्ति

पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। शिक्षित माँ समझती है कि विवाह पूर्व पुत्री का विवाह के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होना आवश्यक है। जिससे कि वह वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी उठा सके।

❖ शिक्षित स्त्री का परिवार में निर्णय लेने के अधिकारों में अधिक महत्व

पढ़ी-लिखी स्त्री अपने पति और परिवार का हित-अहित अच्छी तरह समझ सकती है। पति भी शिक्षित पत्नियों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण फैसले लेते है। परिवार के अन्य सदस्य भी शिक्षित महिला के निर्णयों का समर्थन करते देखे जा सकते है। घर-परिवार में शिक्षित महिला को अन्य महिलाओं की तुलना में अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त होती है।

❖ शिक्षित स्त्री का परिवार की आर्थिक स्थिति में प्रभाव

शिक्षित महिला जरूरत पडने पर आत्मनिर्भर बन कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सहारा दे सकती है। अपनी शिक्षा की मदद से वह लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को जानकर, स्वालंबन के रास्ते अपना सकती है। शिक्षित स्त्री अपने परिवार के घरेलू बजट को खर्च और बचत के बीच संतुलित करके रखती है। इस प्रकार पढ़ी-लिखी महिला की परिवार की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

व्यवसायिक गतिशीलता

व्यवसायिक गतिशीलता न केवल सामाजिक परिवर्तन का सूचक है बल्कि नई सोच और व्यवहार को प्रसारित करने वाले अभिकर्ता के रूप में कार्य करती है। इस अध्याय में महिलाओं की व्यवसायिक गतिशीलता का विश्लेषण किया गया है। तीन पीढ़ीयों की व्यवसायिक गतिशीलता की तुलना एक-दूसरे से की गई है। तीन पीढ़ीयों के व्यवसाय के विभिन्न स्तर जैसे- बेरोजगार, नौकरी, गृहणी, किसान/मजदूर, स्वरोजगार, लिपिक, अध्यापक, नर्स और अन्य (वह महिलाए अपने परिवारिक व्यवसाय में पति की सहायता कर रही है) महिलाए आत्मनिर्भर हो पाई है या नहीं इसका अध्ययन किया गया है।

महिलाओं की तीन पीढ़ीयों की व्यवसायिक गतिशीलता का अध्ययन किया गया है।

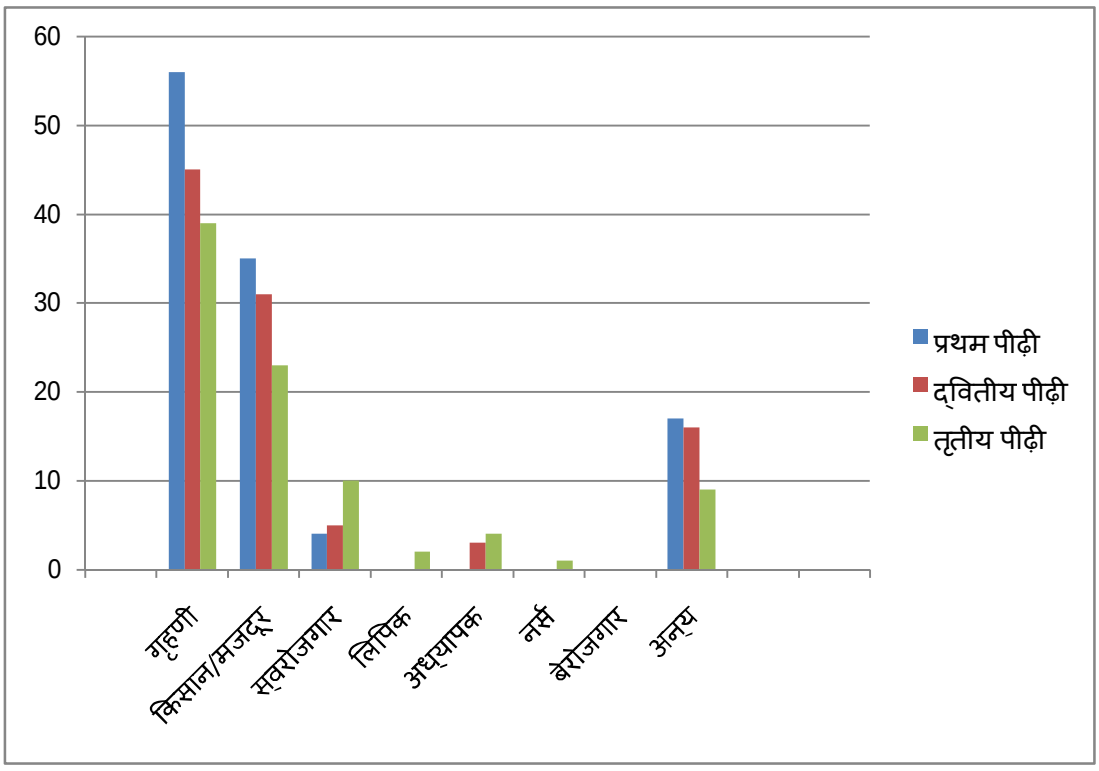

उपरोक्त् सारणी दर्शाती है कि प्रथम पीढ़ी में गृहणियों की संख्या 56 है, जबकि द्वितीय पीढ़ी में यह घटकर 49 रह गई है और तीसरी पीढी में यह 45 हो गई है। वह महिलाए जो केवल गृहणी की भूमिका निभाती थी उनकी संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी घट रही है। प्रथम पीढ़ी में कृषक या मजदूर महिलाओं की संख्या 35 थी जो कि द्वितीय पीढ़ी में 31 हो गई और तृतीय पीढ़ी में घटकर 23 रह गई है। प्रथम पीढ़ी की महिलाओं में कोई भी महिला लिपिक, नर्स, अध्यापक या बेरोजगार नहीं थी, जबकि द्वितीय पीढ़ी में 3 महिलाए अध्यापक है और तृतीय पीढ़ी में दो लिपिक, चार अध्यापक व एक नर्स है। आंकडे दर्शाते है कि प्रथम पीढ़ी की महिलाओं की तुलना में द्वितीय पीढी की महिलाओं में स्वरोजगार बढ़ा है। वह महिलाए जो कि अन्य (परिवारिक व्यवसाय में पति की मदद) व्यवसायों से जुड़ी थी, उनकी संख्या धीरे-धीरे पीढ़ी दर पीढ़ा घट रही है। व्यवसायिक गतिशीलता की गति बहुत धीमी है और जो महिलाए व्यवसायसे जुड़ी है वह ज्यादातर किसान या मजदूर या अन्य व्यवसाय या स्वरोजगार कर रही है। अधिकतर महिलाएं गृहणी है जो केवल अपने परिवार और घर की देखभाल करती है।

कुछ केसस्टडी जो कि दर्शाते है कि महिलाओं का घर से बाहर जाकर रोजगार ढूंढना स्वीकार्य नहीं है।

1) श्रीमती रेखा जो कि इण्टरमीडियट तक पढ़ी है और गृहणी है और उनकी बहू जिसने स्नातक तक शिक्षा ग्रहण की है, उसकी रोजगार में रूचि के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाही तो उन्होंने बताया कि उनके परिवार में महिलाओं का घर से बाहर जाकर नौकरी करना

अच्छा नहीं माना जाता हे। इसलिए वह चाहती है कि बहू घर पर रहकर पति व बच्चों की देखभाल करें।

2) श्रीमती सरला जो कि संस्कृत विषय में परास्नातक है, विवाह पूर्व एक महाविद्यालय में अध्यापन करती थी। विवाह के पश्चात उन्होंने अध्यापन कार्य छोड दिया क्योंकि महाविद्यालय उनके घर से 30 किमी. की दूरी पर स्थित है। प्रतिदिन आवागमन में परेशानी होती थी। वह अब घर में ही ट्यूशन पढ़ाती है।

3) श्रीमती रीना जिन्होंने स्नातक तक शिक्षा ग्रहण की है। वह बताती है कि हमारे समाज में विवाह के लिए पढ़ी लिखी लड़की की मांग होती है। इसलिए परिवार के लोग स्नातक तक शिक्षा दिलवाते है मगर वह नहीं चाहते है कि उसके आगे की पढ़ाई करे। उच्च शिक्षा प्राप्त लड़कियों के लिए उनके समाज में वर ढूंढ़ना मुश्किल होता है। साथ ही यदि वर मिल जाते है तो वह ऊँचे दहेज की मांग करते है। ऐसे में लड़की के माँ बाप लड़कियों की शिक्षा को मात्र विवाह की औपचारिकता की नजर से देखते है।

4) श्रीमती अनीता जो कि स्नातक है वह स्वयं मानती है कि महिलाओं का कार्य घर-गृहस्थी संभालना है। रोजी-रोटी कमाना पुरूषों का कार्य है। जब पति सुविधा सम्पन्न है तो ऐसे में महिलाओं के काम करने की जरूरत क्या है। उनकी पुत्री जिसने कम्प्यूटर में डिप्लोमा प्राप्त किया है, उसके विषय में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पुत्री को

मतलब भर की शिक्षा दे दी है। भविष्य में नौकरी करनी है या नहीं इसका निर्णय पति और ससुराल वाले लेगे। उनकी पुत्री घर में रहकर विवाह होने के इन्तजार में समय बिता रही है।

शोध क्षेत्र में लंबवत व्यवसायिक गतिशीलता के प्रमुख केसस्टडी निम्न है :-

1) श्रीमती चंपा जो कि इंटर पास है और अपने पति के व्यवसाय में मदद करती है। वह अपनी बिजली के सामान की दुकान में काम करती है। उनकी माँ अनपढ़ थी और खेतों में काम किया करती थी। उनकी पुत्री बी.एड. पास करके सरकारी स्कूल में अध्यापन कार्य कर रही है। एक परिवार की महिलाओं की तीन पीढ़ीयों के मध्य लंबवत व्यवसायिक गतिशीलता जो कि परम्परागत व्यवसाय से शिक्षण कार्य तक दर्शाता है।

2) श्रीमती अनुसुइया जो कि आठवीं पास और टेलरिंग का कार्य करती है। उनकी माँ अशिक्षित थी और गृहणी थी। उनकी दो पुत्रिया है। एक पुत्री इंटर पास है और गृहणी है, दूसरी पुत्री इंटर पास है और ब्यूटीपार्लर चलाती है और उनकी तीसरी पुत्री ने नर्सिंग का डिप्लोमा किया है और सरकारी अस्पताल में नर्स है। यह लम्बवत व्यवसायिक गतिशीलता दर्शाती है, जो कि महिलाओं के तीन पीढ़ीयों के अन्तर्गत मौजूद है जिसमें परम्परागत गृहणी की भूमिका से लेकर नर्स की नौकरी तथा स्वरोजगार तक अपनाए गए है।

3) श्रीमती कल्याणी जो कि मैट्रिक पास है और किसान है। उनकी माँ अशिक्षित थी और सब्जी बेचने का कार्य करती थी। उनकी चार बेटियाँ है, पहली पुत्री इंटर पास हे जो कि स्वयं की दूध डेरी चलाती है, दूसरी पुत्री बी.एड. करने के पश्चात निजी विद्यालय में शिक्षण कार्य करती है। तीसरी पुत्री अपने पति के कपड़े के व्यवसाय में हाथ बंटाती है। चौथी पुत्री अभी स्नातक पढ़ रही है। यह इस परिवार की महिलाओं की तीन पीढ़ीयों के लम्बवत व्यवसायिक गतिशीलता का उदाहरण है।

4) श्रीमती अंजू जो कि स्नातक पास है और प्राथमिक विद्यालय में शिक्षामित्र का कार्य करती है। उनकी माँ मैट्रिक पास गृहणी थी। श्रीमती अंजू की पुत्री हिन्दी में परास्नातक है और निजी महाविद्यालय में अध्यापन कर रही है। यह एक परिवार की महिलाओं की तीन पीढ़ीयों की उच्च लम्बवत व्यवसायिक गतिशीलता का प्रमाण है।

उपरोक्त आंकडों के आधार पर यह पाया गया कि इंटरजेनरेशनल लम्बवत व्यवसायिक गतिशीलता प्रथम पीढ़ी से द्वितीय पीढ़ी में बढ़ रही है। वह महिलाए जो कि स्वरोजगार, पारिवारिक व्यवसाय में सहायता करना, अध्यापन आदि में संलग्न है इनकी संख्या प्रथम पीढ़ी की तुलना में द्वितीय पीढ़ी में अधिक है। जबकि तृतीय पीढ़ी की महिलाओं में मात्र एक महिला नर्स, दो महिलाएं लिपिक है और चार महिलाएं अध्यापक है। कुल महिलाएं जो कि लम्बवत व्यवसायिक गतिशीलता दर्शाती है उनकी संख्या

कम है। वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर कहा जा सकता है कि महिलाओं की लम्बवत गतिशीलता व्यवसायिक आधार पर बहुत कम है। जो महिलाएं शिक्षित है, वह भी अपनी शिक्षा का प्रयोग नौकरी या भविष्य बनाने में नहीं कर रही है। विवाह के पश्चात पति और ससुराल वालों की इच्छा ही नौकरी का निर्णय होती है। एक महिला की प्राथमिकता उसका घर और बच्चे होते है। सार रूप में यही कहा जा सकता है कि महिलाएं भविष्य या नौकरी के लिए महत्वाकांक्षी नहीं होती है। प्रथाओं और परम्पराओं के नाम पर उन पर प्रतिबन्ध लगाए जाते है। समाज में घर के बाहर नौकरी के लिए जाने वाली महिलाओं को हेय दृष्टि से देखा जाता है। इस कारण से महिलाओं की लम्बवत व्यवसायिक गतिशीलता अत्यन्त धीमी है।

राजनीतिक गतिशीलता

महिलाओं की राजनीतिक गतिशीलता को समझने के लिए परिवार की तीन पीढ़ी की महिलाओं का चयन किया गया, जिसमें प्रथम पीढी 65 वर्ष या उससे ऊपर की आयु की महिलाएं, द्वितीय पीढी में 45 वर्ष से 64 वर्ष की महिलाए शामिल की गई है। तृतीय पीढ़ी में 25 वर्ष से 44 वर्ष की महिलाओं को शामिल किया गया है। महिलाओं की राजनीतिक गतिशीलता को समझने के लिए निम्न सूचकों का प्रयोग किया गया है :-

1) **मतदान**

2) **वह अपनी इच्छा से वोट देती है या किसी की राय पर**

3) **पंचायती चुनावों में सहभागिता का स्तर**

4) **विधानसभा में महिलाओं का 33% आरक्षण उचित है**

5) **चुनाव प्रचार में सहभागिता का स्तर**

❖ **मतदान –** मतदान राजनीतिक सहभागिता का वह अंग है, जिसके द्वारा नागरिक राजनैतिक प्रक्रिया और लोकतंत्र का भविष्य निश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। किसी भी लोकतंत्र में पुरूषों के समान महिला मतदाता भी महत्वपूर्ण होती है। कुछ समय पूर्व अशिक्षा, घर-गृहस्थी की जिम्मेदारियों के कारण, बच्चों की देखभाल, मतदान केन्द्र का घर से दूर स्थित होने की वजह से महिलाएं मतदान में पूर्णत: भाग नहीं ले पाती थी। महिलाओं में

जागरूकता फैलने के कारण उन्होंने समझा कि उनका वोट राजनीतिक परिदृश्य को बदलने में सक्षम है तो उन्होंने पूरे जोर-शोर से मतदान में भाग लेना शुरू किया है।

इसलिए महिलाओं की राजनीतिक गतिशीलता को समझने के लिए सबसे पहले महिलाओं की रूचि जानने का प्रयास किया गया है। इसलिए महिलाओं से यह प्रश्न पूछा गया कि "क्या वह मतदान करती है'' इस प्रश्न के उत्तर में लगभग सभी महिलाओं ने हाँ में जवाब दिया है। प्रथम पीढ़ी की महिलाए जिनकी आयु 65 वर्ष से ऊपर थी, उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से वह लगातार मतदान करने जाती थी। जब कभी भी वह किसी कार्यवश गाँव से बाहर होती थी तो मतदान नहीं कर पाती थी और कुछ वर्षों पूर्व मतदान के महत्व नहीं जानती थी। इसलिए घरेलू जिम्मेदारियों के कारण वह मतदान करने नहीं जाती थी। इस तरह प्रथम पीढ़ी की 90% महिलाओं ने कहा कि वह प्रत्येक चुनाव में मतदान करने जाती है। द्वितीय पीढी की महिलाओं में मतदान के विषय में पूछने पर 95.1% महिलाओं ने बताया कि वह प्रत्येक चुनाव में मतदान करती है। (3.5%) महिलाए चुनाव के समय गाँव में उपस्थित नहीं थी। इसलिए वह चुनाव में भाग नहीं ले पाई। (1.4%) महिलाए चुनावों में रूचि नहीं रखती इसलिए वह मतदान नहीं करती है। तृतीय पीढ़ी की महिलाए (98%) प्रत्येक चुनाव में मतदान करती है। उन्होंने कहा कि वह यदि सही उम्मीदवार को नहीं चुनेगी तो उनके गांव का विकास नहीं होगा। इसलिए अपने वोट का सही जगह प्रयोग करती है।

(1.3%) महिलाएं गांव में उपस्थित नहीं थी इसलिए मतदान नहीं कर सकी अन्यथा वह भी मतदान में भाग लेती है। (0.7%) महिलाएं चुनाव में रूचि नहीं लेती है क्योंकि उनका मानना है कि उनके वोट देने से देश के हालात नहीं सुधरेगे। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि प्रथम पीढी की महिलाओं में चुनावों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है इसलिए वह अब मतदान में भाग लेती है। प्रथम पीढ़ी की तुलना में द्वितीय पीढ़ी की महिलाए अधिक मतदान में भाग लेती है और जब द्वितीय पीढ़ी की तुलना तृतीय पीढ़ी से की गई तो पाया गया कि (25-44) वर्ष की महिलाओं में चुनाव के प्रति काफी सकारात्मक सोच रखती है। उनका मानना है कि उनका वोट देश की सत्ता को बदलने की क्षमता रखता है। प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी की महिलाओं से जब पूछा गया कि **वह अपनी इच्छा से वोट देती या किसी की राय पर,** इस प्रश्न के जबाव में प्रथम पीढ़ी की 97% महिलाओं ने कहा कि घरवाले जिस जनप्रतिनिधि को वोट देने को कहते है, हम उसी को वोट देते है। (1.4%) महिलाओं ने कहा कि जिस नेता को बहुमत प्राप्त होता है उसी को वोट देते है जो नेता जीत रहा हो उसको वोट देने से उनका वोट व्यर्थ नहीं होगा। (1.5%) महिलाए चुनावों को फालतू टाइम पास समझती है। द्वितीय पीढ़ी की महिलाओं से जब पूछा गया कि वह अपना वोट किसकी राय पर देती है तो (95%) महिलाएं अपने पति की सलाह पर वोट देती है। (3.5%) महिलाएं स्वयं के निर्णय पर जनप्रतिनिधि को वोट देती है। (1.5%) महिलाएं चुनावों में रूचि नहीं रखती है। तृतीय पीढ़ी की महिलाओं में (83%) ने माना कि वह स्वयं के निर्णय पर प्रत्याशी

को वोट देती है। (16.3%) महिलाए पति के पसन्द के प्रत्याशी को वोट देती है। (0.07%) चुनाव में रूचि नहीं रखती है।

उपरोक्त तथ्यों से पता चलता है कि प्रथम पीढी में राजनीति के प्रति स्वयं की कोई राय नहीं है। द्वितीय पीढ़ी में भी अधिकतर महिलाएं राजनीति के विषय में परिवार वालों के निर्णय मानती है वही तृतीय पीढ़ी में महिलाएं अत्याधिक जागरूक है। वह प्रत्याशी के चुनावी मुद्दों को परखती है फिर तय करती है कि उसे चुनाव में वोट देना है या नहीं। प्रथम पीढ़ी में द्वितीय पीढ़ी की तुलना में राजनीतिक जागरूकता व शिक्षा की कमी है जबकि द्वितीय पीढ़ी में प्रथम पीढ़ी की तुलना में अधिक जागरूकता है। तृतीय पीढ़ी में अन्य महिलाओं की तुलना में राजनीतिक जागरूकता अधिक है।

❖ पंचायती चुनावों में सहभागिता का स्तर

प्रथम पीढ़ी की महिलाओं ने बताया कि पंचायती चुनावों में वह केवल मतदाता की भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त चुनावों के बारे में घर के पुरूष निर्णय लेते है। द्वितीय पीढी की महिलाओं से जब पंचायती चुनावों में सहभागिता का स्तर पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यदि उनकी जाति विशेष का प्रत्याशी खड़ा होता है तो वह चुनावों में रूचि लेती है। पंचायती चुनाव में सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हुई थी तो उन्होंने अपने मुहल्ले से महिला पंच के प्रत्याक्षी का चयन किया था। तृतीय पीढ़ी की महिलाओं में से कई

महिलाएं पिछले कई पंचायती चुनावों में प्रत्याक्षी हो चुकी है। वर्तमान समय में जो ग्राम प्रधान प्रेमा देवी है। वह भी तृतीय पीढ़ी की महिलाओं में से एक है।

उपरोक्त् आंकडों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रथम व द्वितीय पीढ़ी की महिलाएं पंचायती चुनावों में मात्र मतदाता की भूमिका निभाती जब कि तृतीय पीढ़ी की महिलाएं चुनाव में प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवार दर्ज कर चुकी है और विजेता भी हुई है।

❖ **विधानसभा चुनावों में 33% आरक्षण उचित है।**

जब प्रथम पीढ़ी की महिलाओं से विधानसभा चुनावों में 33% आरक्षण के विषय में पूछने पर पता चला कि 80% महिलाए आरक्षण के विषय में कुछ नहीं जानती है। महिलाओं ने कहा कि आरक्षण होने पर **क्या महिलाओं को सरकार नौकरी उपलब्ध कराएगी। (18.5%)** महिलाओं ने कहा कि पिछले चुनाव में जो नेता चुनाव प्रचार के लिए आए थे, तो उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने पर महिलाओं को आरक्षण देगे। (1.5%) महिलाए चुनावों को समय बर्बाद करने का साधन मानती है। द्वितीय पीढ़ी की महिलाओं से विधानसभा चुनावों में 33% आरक्षण के विषय में जानने पर ज्ञात हुआ कि (71.1%) महिलाए चुनाव में 33% आरक्षण चाहती है। (19.2%) महिलाए विधानसभा चुनावों में 50% आरक्षण चाहती है। (1.3%) महिलाए किसी भी प्रकार आरक्षण नहीं चाहती है

क्योंकि वह सबका समान मानती है। तृतीय पीढ़ी की महिलाओं से विधानसभा चुनावों में 33% आरक्षण के विषय में जानकारी ली गई तो ज्ञात हुआ कि (81.1%) महिलाएं विधानसभा चुनावों में 33% आरक्षण चाहती है क्योंकि महिलाओं का सदियों से शोषण होता रहा है ऐसे में समानता लाने के लिए आरक्षण होना चाहिए और इससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। (9.2%) महिलाओं ने कहा कि आरक्षण जनसंख्या के आधार पर मिलता है तो महिलाओं की जनसंख्या 50% के करीब है तो आरक्षण जी 50% होना चाहिए। (8.4%) महिलाओं को आरक्षण देकर महिलाओं को कमजोर, असहाय साबित किया जा रहा है। महिलाए सभी क्षेत्रों में पुरूषों से कंधा मिलाकर चल रही है ऐसे में आरक्षण नहीं होना चाहिए। (1.3%) महिलाए दुविधा में थी कि आरक्षण से उनका क्या भला होगा।

उपरोक्त आंकडों के आधार बहुतायत महिलाओं का कहना है कि विधानसभा चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए जिससे समानता और सशक्तिकरण आ सके। कुछ महिलाओं का मानना है कि महिलाओं का आरक्षण 50% होना चाहिए क्योंकि सदियों से शोषित रही है। ऐसे में जब तक निर्णय लेने के स्तर तक स्त्रियाँ पुरूषों के बराबर नहीं पहुचेगी तब तक महिलाओं की स्थिति जस की तस रहने वाली है। पुरूष अपनी सत्ता खोना नहीं चाहते है इसलिए महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं होने देते है। वे मानती है कि एक महिला ही दूसरी महिला की समस्या को बेहतर तरीके से

समझ सकती है। यदि एक बार महिला सत्ता में जाएगी तो वह बिना किसी दबाव के निर्णय कर सकेगी। जबकि कुछ महिलाए जिनका मानना था कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में महिला पुरूषों के बराबर काम कर रही है तो वह राजनीति में भी बराबरी कर सकेगी। महिलाए आरक्षण मांगकर स्वयं को हीन और कमजोर साबित कर रही हे। उनका मानना है कि आरक्षण के आधार पर चुनी जानेवाली महिलाए पुरूष सदस्यों के हाथ की कठपुतली है और कुछ भ्रष्ट लोगों के कारण महिलाए राजनीतिको दूषित मानती है। इस बारे में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। राजनीति के भ्रष्ट समुद्र में महिलाए भी स्वार्थी और भ्रष्ट हो जाएगी। कुछ महिलाए आरक्षण के बारे में दुविधा में थी इसलिए कोई उत्तर नहीं दे सकी।

❖ चुनाव प्रचार में सहभागिता का स्तर

महिलाओ से जब चुनाव प्रचार में सहभागिता के स्तर के बारे में कभी राजनैतिक सभाओं, चुनाव प्रचार आंदोलन में भाग लिया है या नहीं। कुल मिलाकर यह पाया गया है कि सभी महिलाओं प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी व तृतीय पीढ़ी (86.7%) ने स्वीकारा कि उन्होंने कभी भी राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं लिया है। (12%) महिलाओं ने बताया कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के लिए चुनाव प्रचार-प्रसार का कार्य किया है। (1.3%) महिलाओं ने चुनावी

रैली में भाग लिया है क्योंकि वह राजनीतिक पृष्ठभूमि से सम्बन्ध रखती है।

कुछ महिलाओं ने चुनाव प्रचार किया उन्होंने चुनाव के दौरान प्रचार हेतु पर्चे बांटे और अपने प्रत्याशी का समर्थन करने के लिए लोगों से निवेदन किया था। कुछ महिलाओं ने राजनैतिक सभाओं और आंदोलनों में भाग लिया क्योंकि वह राजनैतिक पृष्ठभूमि से सम्बन्ध रखती है। उन्होंने आन्दोलन में भाग लेकर अपने नेता को समर्थन दिया और एकता का प्रदर्शन किया है और अपनी मांगे पूरी करने के लिए दबाव बनाया। एक बहुत रोचक तथ्य सामने आया है कि **सभी महिलाए अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करती है परन्तु जब राजनीति में वास्तविक सहभागिता की बात आती है तो कहती है कि राजनीति महिलाओं के लिए नहीं है।** वह सोचती है यदि वह चुनाव प्रचार, चुनाव रैली या आन्दोलनों में भाग लेगी तो परिवार की प्रतिष्ठा और स्वयं की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुचायेगी। यदि कोई देश सेवा करना चाहता है तो उसके कई और रास्ते राजनीति के अलावा भी है। अत: यह कहा जा सकता है कि महिलाओं की परम्परागत सोच अभी भी हावी है। जब उनसे वास्तव में राजनीति में भाग लेने की बात होती है।

आर्थिक गतिशीलता

इस अध्याय में महिलाओं की तीन पीढ़ीयों में आर्थिक गतिशीलता का अध्ययन किया है। जिसमें प्रथम पीढ़ी 65 वर्ष से ऊपर की महिलाए शामिल है। द्वितीय पीढ़ी जिसमें 45 वर्ष से 64 वर्ष तक की महिलाए शामिल है। तृतीय पीढ़ी में 25 वर्ष से 44 वर्ष तक की महिलाए शामिल है। प्रथम पीढ़ी की आर्थिक स्थिति की तुलना में व्दितीय पीढ़ी के साथ की गई और व्दितीय पीढ़ी की आर्थिक स्थिति की तुलना तृतीय पीढ़ी के साथ की गई है।

महिलाओं की तीन पीढ़ीयों के मध्य आर्थिक गतिशीलता

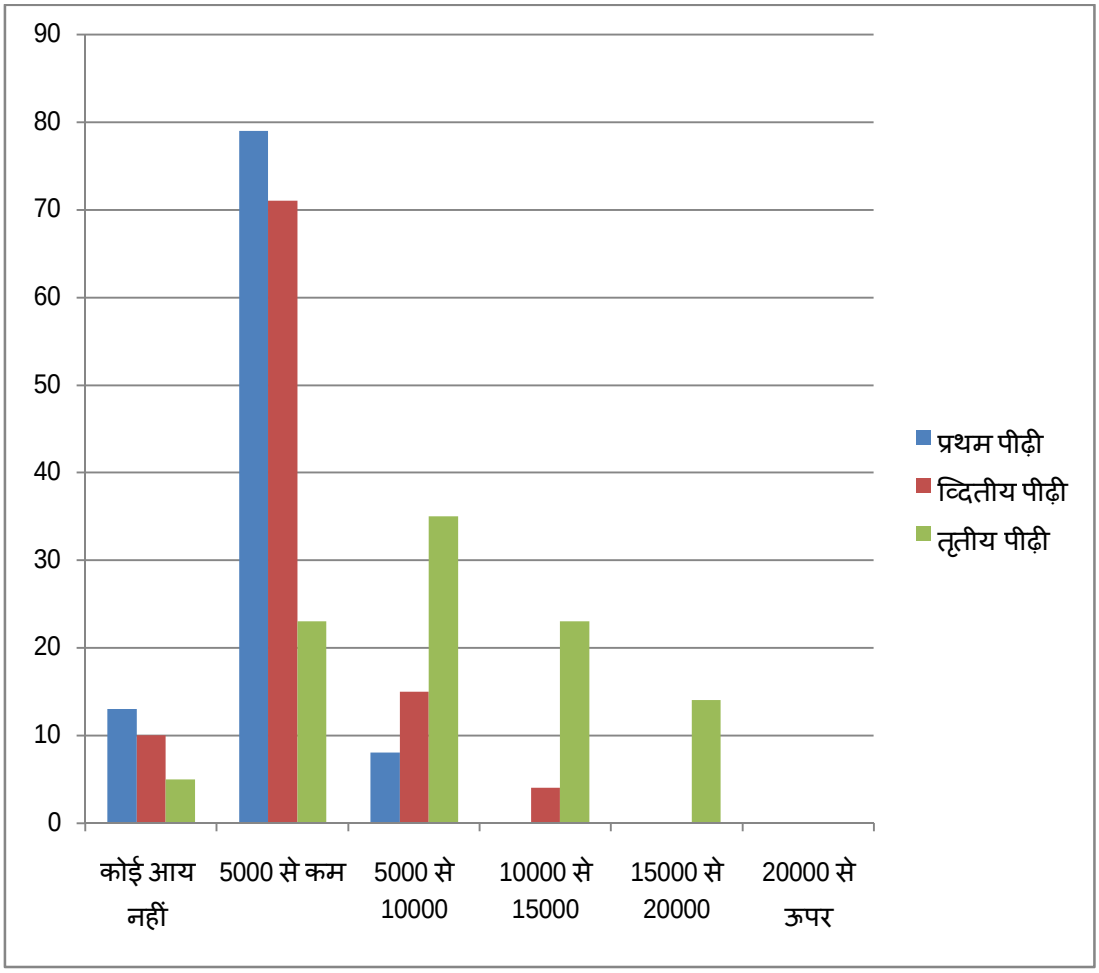

उपरोक्त आंकडों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रथम पीढ़ी की महिलाओं में 13 प्रतिशत महिलाए वह है जिनकी स्वयंकी मासिक आय नाममात्र को है जब कि द्वितीय पीढ़ी में नाममात्र की आय में 10 महिलाएं है और तृतीय पीढ़ी में मात्र 5 महिलाएं है, जिनकी आय कुछ नहीं है। जब इन महिलाओं से कारण पूछा गया तो इन्होंन बताया कि यह महिलाए उच्च जातियों से सम्बन्ध रखती है। इनकी जाति में महिलाओं को घर के बाहर नौकरी करना या स्वरोजगार करने की अनुमति नहीं है। यह महिलाए अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पति और परिवार के अन्य सदस्यों पर आश्रित होती है।

5000 से कम मासिक आय वर्ग में प्रथम पीढ़ी में 79 प्रतिशत महिलाए है वहीं द्वितीय पीढ़ी में 71 प्रतिशत महिलाए है और तृतीय पीढ़ी में 23 प्रतिशत महिलाए है। जब इन महिलाओं से मासिक आय के बारे में जानकारी ली गई तो इन महिलाओं ने बताया कि इनकी मासिक आय कृषि, पशुधन व दूधडेरी, स्वरोजगार व अन्य स्त्रोतों से है। प्रथम पीढ़ी की महिलाएं सरकारी योजनाओं से मिलने वाली वृद्धावस्था पेन्शन, विधवा पेन्शन से मासिक आय प्राप्त करती है। वहीं द्वितीय व तृतीय पीढ़ी की महिलाएं अपने स्वरोजगार, कृषि, दूधडेरी, अन्य घरेलू उद्योगों से मासिक आय प्राप्त करती है।

5000 से 10000 मासिक आय वर्ग में प्रथम पीढ़ी में 8 प्रतिशत महिलाएं है। यह महिलाएं कृषि, सरकारी पेन्शन से यह मासिक आय प्राप्त करती है। द्वितीय पीढ़ी की महिलाओं में स्वरोजगार, ट्यूशन पढ़ाने से,

नौकरी से 15 प्रतिशत महिलाएं मासिक आय प्राप्त करती है। तृतीय पीढ़ी की महिलाओं में 35 प्रतिशत महिलाएं 5000 से 10000 की मासिक आय प्राप्त करती है। इनकी आय के साधन स्वरोजगार, नौकरी, अध्यापन आदि है।

10000 से 15000 रु. की मासिक आय वर्ग में प्रथम पीढ़ी की कोई भी महिला शामिल नहीं है। द्वितीय पीढ़ी की 4 प्रतिशत महिलाए इस वर्ग में है। तृतीय पीढ़ी की 23 प्रतिशत महिलाए इस वर्ग में शामिल है। इस आय वर्ग की महिलाओं के प्रमुख व्यवसाय, स्वरोजगार, अध्यापन, नौकरी व कृषि है।

15000 से 20000 रु. की मासिक आय वर्ग में केवल तृतीय पीढ़ी की 14 प्रतिशत महिलाएं शामिल है। इन महिलाओं के आय के स्त्रोत सरकारी नौकरी, स्वरोजगार इत्यादि है।

उपर्युक्त तथ्य के अवलोकन के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि कोई आय नहीं वर्ग में प्रथम पीढ़ी की सर्वाधिक महिलाएं 13 प्रतिशत है जबकि सबसे कम तृतीय पीढ़ी की महिलाएं है। यह महिलाओं की आर्थिक गतिशीलता दर्शाता है। 5000 रु. से कम आय वर्ग में सर्वाधिक महिलाएं 79 प्रतिशत है जबकि व्दितीय वर्गमें 71 प्रतिशत है। यह आर्थिक गतिशीलता दर्शाता है। 5000 से 10000 रु. की मासिक आय वर्ग में प्रथम पीढ़ी की 8 प्रतिशत मिहलाएं जो कि सबसे कम है। द्वितीय पीढ़ी की 15 प्रतिशत महिलाएं शामिल है और तृतीय पीढ़ी की 35 प्रतिशत महिलाए है

जो कि सर्वाधिक है। यह प्रथम पीढ़ी से तृतीय पीढ़ी के मध्य आर्थिक गतिशीलता दर्शाता है। 10000 से 15000 रु. मासिक आय वर्ग में प्रथम पीढ़ी की कोई महिला नहीं शामिल है। द्वितीय पीढ़ी की 4 प्रतिशत महिलाए शामिल है और तृतीय पीढ़ी की 23 प्रतिशत महिलाए शामिल है। 15000 से 20000 रु. की मासिक आय वर्ग में केवल तृतीय पीढ़ी की 14 प्रतिशत महिलाए शामिल है जो कि प्रथम पीढ़ी से तृतीय पीढ़ी के मध्य अन्त: पीढ़ीगत गतिशीलता दर्शा रही है।

परिवार में निर्णय लेने के अधिकारों में गतिशीलता

परिवार में अधिकार और कर्तव्य का वितरण इस तरह होता है कि जिससे परिवार की संरचना सुचारू रूप से चलती रहे। इसके लिए अधिकारों और कर्तव्यों का सही ढंग से वितरण आवश्यक है। प्राचीन काल में महिलाओं को परिवारिक निर्णयों में कोई महत्व नहीं दिया जाता था। अन्तिम और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के अधिकार केवल पुरूषों या घर के बुजुर्ग सदस्यों को प्राप्त था। महिलाओं की गतिविधियाँ रसोईघर तक सीमित होती है उनका कार्य परिवार को देखभाल व बच्चों का लालन-पालन करना होता था।

शिक्षा के प्रचार-प्रसार, रोजगार और संयुक्तपरिवार के विखंड़न के परिणामस्वरूप, अधिकारों के प्रति जागरूकता के कारणों से स्थितियों में बदलाव आए है। **ए. डी. रॉस (1961)** के अनुसार वास्तव में कुछ परिवारों में महिलाओं की स्थिति एक सलाहकार के रूप में देखी जा सकती है। वह अपने पिता या पति के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेती है। परिवार में निर्णय लेने के अधिकार महिलाओं की गतिशिलता का महत्व दर्शाते है। विशेषकर ग्रामीण समाज में इसलिए महिलाओं के मध्य निर्णय लेने के अधिकारों का अध्ययन अनिवार्य है।

परिवार में निर्णय लेने के अधिकारों का अध्ययन करने के लिए महिलाओं द्वारा परिवार में लिए जाने वाले प्रमुख निर्णयों को शामिल किया गया है।

❖ परिवार में निर्णय लेने का अधिकार

निम्न मसलों पर परिवार में कौन निर्णय लेता है?

क्र. संख्या	निर्णय	पति	पत्नी	दोनों	रिश्तेदार
1.	बच्चों के जन्म सम्बन्धी				
2.	बच्चों के पालन-पोषण व शिक्षा सम्बन्धी				
3.	बच्चों के जीवन साथी चयन सम्बन्धी				
4.	घर-गृहस्थी चलाने में				
5.	दिन-प्रतिदिन की खरीददारी				
6.	रसोई और भोजन सम्बन्धी निर्णय				
7.	आर्थिक मुद्दों पर नियन्त्रण				
8.	सम्पत्ति में अधिकार				

❖ बच्चों के जन्म सम्बन्धी अधिकार

बच्चों के जन्म सम्बन्धी अधिकार के विषय में जब महिलाओं से पूछा गया तो प्रथम पीढ़ी की महिलाओं में (98.5%) ने माना कि बच्चों के जन्म सम्बन्धी सभी निर्णय पति और ससुराल वाले लेते थे। उन्हें कोई समस्या आज तक नहीं हुई। (1.5%) महिलाओं ने बताया कि उनके पति और वह दोनों मिलकर निर्णय लेते थे। द्वितीय पीढी की महिलाओं से जब बच्चों के जन्म सम्बन्धी अधिकार के बारे में पूछा गया तो (95%) महिलाओं ने माना कि पति और ससुराल वाले निर्णय हेते है। (5%) महिलाओं ने माना कि केवल पति ही बच्चों के जन्म सम्बन्धी निर्णय लेते थे। तृतीय पीढ़ी की महिलाओं में (65%) ने माना कि बच्चों के जन्म सम्बन्धी निर्णयों में वह और उनके पति दोनों मिलकर निर्णय लेते है। (15%) महिलाओं ने बताया कि केवल पति ही निर्णय लेते है। (17%) महिलाओं ने कहा कि केवल रिश्तेदार निर्णय लेते है। (3%) महिलाओं ने बताया कि पति और रिश्तेदार मिलकर निर्णय लेते है।

उपरोक्त आंकडों से पता चलता है कि प्रथम पीढ़ी में महिलाओं को बच्चों के जन्म सम्बन्धी अधिकार नहीं मिले है। जब कि द्वितीय पीढ़ी में भी महिलाओं को बच्चों के जन्म सम्बन्धी अधिकार नहीं मिले है। तृतीय पीढ़ी में (65%) महिलाए अपने पति के साथ मिलकर बच्चों के जन्म का निर्णय लेती है।

❖ बच्चों के पालन-पोषण व शिक्षा सम्बन्धी

प्रथम पीढ़ी की महिलाओं में (83%) यह मानती है बच्चों के पालन-पोषण व शिक्षा के सम्बन्ध में रिश्तेदार निर्णय लेते है। (15%) महिलाए मानती है कि पति और रिश्तेदार मिलकर निर्णय लेते है। (2%) महिलाए मानती है कि बच्चों के पालन-पोषण व शिक्षा की जिम्मेदारी परिवार व पति की होती है। महिलाए घर के कामों में ध्यान देती है, बच्चे परिवार वाले संभालते है। (15.4%) महिलाओं के अनुसार बच्चों के पालन-पोषण के निर्णय पति लेते है। (15.1%) महिलाओं ने माना कि पति के साथ मिलकर वह स्वयं निर्णय लेती है। तृतीय पीढ़ी की महिलाओं में (39.6%) ने माना कि पति और पत्नी मिलकर बच्चों के पालन-पोषण व शिक्षा का निर्णय लेते है। (1.2%) महिलाए स्वयं अकेले निर्णय लेती है। (5.6%) पति स्वयं अकेले बच्चों के लालन-पालन व शिक्षा के निर्णय लेते है। (4.7%) महिलाओं ने बताया कि रिश्तेदार निर्णय लेते है और (39.5%) महिलाओं ने बताया कि पति, पत्नी और परिवार वाले मिलकर बच्चों के पालन-पोषण व शिक्षा का निर्णय लेते है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि द्वितीय पीढ़ी की महिलाओं में प्रथम पीढ़ी की महिलाओं की तुलना में अधिक बच्चों के पालन-पोषण व शिक्षा सम्बन्धी निर्णयों में अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही है। जब कि तृतीय पीढ़ी की महिलाए पति के साथ मिलकर बच्चों के पालन-पोषण व शिक्षा सम्बन्धी निर्णय लेती है।

कुछ महिलाओं ने स्वीकारा कि वह स्वयं अकेले बच्चों के पालन-पोषण व शिक्षा सम्बन्धी के निर्णय लेती है। उनका मानना है कि बचपन से ही बच्चों को सभ्य वातावरण में पालन-पोषण करना चाहिए वरना भविष्य में वह बुरी संगति में पड सकते हैा यद्यपि सम्पूर्ण नहीं मगर कुछ महिलाओं व्दारा बच्चों के पालन-पोषण व शिक्षा के बारे में निर्णय लेना, घर परिवार द्वारा स्वीकार होने लगा है। बच्चों के पालन-पोषण व शिक्षा सम्बन्धी निर्णय में महिलाओं की राय को शामिल किए जाना एक परिवर्तन का सूचक है।

❖ बच्चों के जीवन साथी चयन

जिस तरह बच्चों की शिक्षा व पालन-पोषण महत्वपूर्ण बाते है उसी तरह से बच्चों के जीवन साथी का चयन महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब महिलाओं से बच्चों के जीवन साथी चयन के निर्णय के बारे में पूछा गया तो, प्रथम पीढ़ी की 85.5% महिलाओं ने बताया कि पति और रिश्तेदार मिलकर निर्णय लेते है। (11.3%) महिलाओं ने कहा केवल पति ही बच्चों के जीवन साथी चयन में निर्णय लेते है। (3.2%) महिलाओं ने स्वीकारा की पति और वह स्वयं मिलकर बच्चों के जीवनसाथी का चयन करते है। जब व्दितीय पीढ़ी की महिलाओं से बच्चों के जीवन साथी चयन के बारे में पूछा गया तो (55.3%) महिलाओं ने कहा कि पति और रिश्तेदार मिलकर निर्णय करते है। (28.2%) महिलाओं ने कहा कि बच्चों के जीवन साथी चयन में वह पति के साथ मिलकर निर्णय लेती है। (16.5%) महिलाओं ने

कहा कि पति ही बच्चों के जीवन साथी के फैसले लेते है। तृतीय पीढ़ी की महिलाओं से पूछने पर पता चला कि (65.1%) वह पति और रिश्तेदारों के साथ मिलकर बच्चों के जीवन साथी चयन के निर्णय लेती है। (23.4%) महिलाओं ने माना कि केवल पति ही बच्चों के जीवन साथी चयन में निर्णय लेते है। (11.5%) महिलाओं ने बताया कि उनके बच्चे अभी किशोरावस्था या बाल्यावस्था में है। इस कारण बच्चोंके जीवन साथी चयन सम्बन्धी निर्णय के विषय में स्पष्ट तौर पर कुछ कह नहीं सकती है।

उपरोक्त आंकडों से यह स्पष्ट होता है बच्चों के जीवन साथी चयन में प्रथम पीढ़ी की तुलना में द्वितीय पीढ़ी की महिलाए पति के साथ मिलकर निर्णय लेती है। तृतीय पीढ़ी की महिलाए सर्वाधिक रूप से बच्चों के जीवन साथी चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सर्वाधिक रोचक बात यह है कि किसी भी पीढ़ी में महिलाओं को बच्चों के जीवन साथी चयन में स्वतन्त्र निर्णय लेने की आजादी नहीं है।

❖ घर-गृहस्थी चलाने में

महिलाओं से जब घर गृहस्थी चलाने में कौन निर्णय लेता है? इस बारे में पूछा गया तो प्रथम पीढ़ी की महिलाओं ने बताया कि (88.5%) वह स्वयं निर्णय लेती है। (11.5) महिलाओं ने कहा कि वह और पति मिलकर निर्णय लेते है। द्वितीय पीढ़ी की महिलाओं ने

बताया कि (75.1%) पति और रिश्तेदार मिलकर घर गृहस्थी चलाने के निर्णय लेते है। (23.2%) महिलाओं ने माना कि वह स्वयं घर गृहस्थी चलाने में निर्णय लेती है। (1.7%)महिलाओं ने बताया कि केवल पति ही घर गृहस्थी चलाने के निर्णय लेते है। तृतीय पीढ़ी की महिलाओं में (10.7%) ने बताया कि जेवर खरीदने और घरेलू सामान की खरीददारी में स्वयं निर्णय लेती है। जबकि (33.8%) पति अकेले निर्णय लेते है और (30.9%) महिलाए पति के साथ मिलकर निर्णय लेती है। (24.6%) महिलाओं ने कहा कि उनके पति ससुराल वालो के साथ मिलकर घर गृहस्थी चलाने के निर्णय लेते है।

उपरोक्त आंकडों से स्पष्ट होता है कि तीनों पीढ़ीयों में प्रथम पीढ़ी की महिलाओं को घर गृहस्थी चलाने के निर्णय में सर्वाधिक अधिकार प्राप्त है। प्रथम और व्दितीय पीढ़ी की महिलाओं ने माना कि घरेलू मसलों के निर्णय वह स्वयं करती है बड़ी खरीददारी फ्रिज, कूलर इत्यादि के लिए वह पति और रिश्तेदारों के निर्णय मानती है। अत: यह कहा जा सकता है कि महिलाओं को घर गृहस्थी चलाने में कुछ अधिकार मिले है। परन्तु बड़े मुद्दों पर महिलाओं से राय ली जाती है और अन्तिम निर्णय पति ही लेता है। सकारात्मक तथ्य यह है कि महिलाओं से राय ली जाती है भले ही उनका निर्णय अन्तिम नहीं माना जाता है।

❖ दिन-प्रतिदिन की खरीददारी

महिलाओं से जब दिन-प्रतिदिन की खरीददारी सब्जी, राशन इत्यादि के निर्णय के बारे में पूछा तो ज्ञात हुआ कि (80.8%) महिलाएं दिन-प्रतिदिन की खरीददारी जैसे सब्जी, राशन इत्यादि के लिए पति और परिवार के पुरूष सदस्यों पर ही निर्भर है। इसका मुख्य कारण है कि गांव में इन सब सामानों के क्रय-विक्रय के लिए दूकाने नहीं है। गांव से 5 किमी. की दूरी पर जो साप्ताहिक बाजार लगता है, उसमें रोजमर्रा की जरूरत के सभी आवश्यक सामान मिलते है। गांव की महिलाएं शायद ही कभी दिन-प्रतिदिन की खरीददारी के लिए घर से निकलती है। (14.8%) महिलाओं ने कहा कि वह अपने पति के साथ मिलकर दिन-प्रतिदिन की खरीददारी के निर्णय लेती है। (4.4%) महिलाओं ने कहा कि वह अकेले ही दिन-प्रतिदिन की खरीददारी के निर्णय लेती है।

उपरोक्त् आंकडों से ज्ञात होता है कि महिलाओं को दिन-प्रतिदिन की खरीददारी के निर्णय के लिए पति व अन्य पुरूष सदस्यों पर निर्भर होना पड़ता है। इसका मुख्य कारण बाजार गांव से दूर स्थित है। कुछ महिलाए पति के साथ मिलकर दिन-प्रतिदिन की खरीददारी के निर्णय लेती है। अत- यह माना जा सकता कि महिलाओं को परम्परागत भूमिका में परिवर्तन आ रहे है।

❖ रसोई और भोजन सम्बन्धि

महिलाओं से जब रसोई और भोजन सम्बन्धी निर्णय के बारे में पूछा गया तो प्रथम पीढ़ी की महिलाओं में (19.5%) महिलाओं ने बताया कि रसोई और भोजन सम्बन्धि निर्णय लेती है। जबकि 75.2% महिलाओं ने कहा कि उनकी सास रसोई और भोजन सम्बन्धि निर्णय लेती है। (28.5%) महिलाएं रसोई और भोजन सम्बन्धी निर्णय स्वयं लेती है। (36.3%) महिलाओं ने कहा कि उनकी सास रसोई और भोजन सम्बन्धी निर्णय लेती है। (35.2%) महिलाओं ने कहा कि वह पति और सास के साथ मिलकर निर्णय लेती है। तृतीय पीढ़ी की महिलाओं में (19.5%) महिलाए रसोई और भोजन सम्बन्धी निर्णय स्वयं लेती है। (56.7%) महिलाओं ने कहा कि उनकी सास रसोई और भोजन सम्बन्धी निर्णय लेती है। (23.8%) महिलाए पति और स्वयं के साथ मिलकर निर्णय लेती है।

उपरोक्त आंकडों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि महिलाओं को रसोई और भोजन सम्बन्न्धी निर्णयों में अपनी सास का निर्णय ही मानना होता है। कुछ महिलाए जो एकल परिवार में रहती है, वह स्वतन्त्र निर्णय लेती है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पति और पत्नी दोनों मिलकर रसोई और भोजन सम्बन्धी निर्णय लेते है। पति और पत्नी का मिलकर निर्णय लेना दर्शाता है कि महिलाओं की परम्परागत भूमिका में बदलाव आ रहे है।

❖ आर्थिक मुद्दों पर नियन्त्रण

संयुक्तपरिवार में मुखिया आर्थिक मुद्दों पर नियन्त्रण रखता है। परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी आवश्यकता के लिए मुखिया पर निर्भर रहता है। मुखिया सभी आर्थिक फैसले लिया करता है और महिलाओं को इसमें दखल देने की अनुमति नहीं होती है। बदलते हुए समय के साथ परिवार का ढ़ांचा बदल गया है। महिलाए घर का संचालन सफलता पूर्वक कर रही है।

जब महिलाओं से आर्थिक मुद्दों पर नियन्त्रणके बारे में पूछा गया तो प्रथम पीढ़ी की महिलाओं में (82.5%) महिलाओं ने कहा कि उनकी सास और परिवार के लोग नियन्त्रण रखते है। (12.3%) महिलाओं ने माना कि उनके पति आर्थिक मुद्दों पर नियंत्रण रखते है। (5.2%) महिलाओं ने माना कि वह पति और सास के साथ मिलकर आर्थिक मुद्दों पर नियंत्रण करती है। द्वितीय पीढ़ी की (73.4%) महिलाओं ने कहा कि उनकी सास और पति आर्थिक मुद्दों पर नियंत्रण रखते है। (23.5%) महिलाओं के पति आर्थिक मुद्दों पर नियंत्रण रखते है। (3.1%) महिलाओं ने बताया कि परिवार वालों के साथ मिलकर वह स्वयं और पति मिलकर निर्णय लेती है। तृतीय पीढ़ी की महिलाओं से जब आर्थिक मुद्दों के नियंत्रण के विषय में पूछा गया तो (48.2%) महिलाओं ने कहा कि उनकी सास ससुर आर्थिक मुद्दों पर नियंत्रण करते है। (27.6%) महिलाओं के पति स्वयं आर्थिक मुद्दों पर नियंत्रण करते है। (24.2%) महिलाओं ने

माना कि वह पति और सास के साथ मिलकर आर्थिक मुद्दों पर निर्णय लेती है।

उपरोक्त आंकडों से यह स्पष्ट होता है कि परिवार में आर्थिक नियंत्रण हमेशा सास या पति के हाथ में होता है। अत: यह ज्ञात होता है कि महिलाओं की आर्थिक नियन्त्रण में नगण्य भूमिका होती है। कुछ परिवारों में महिलाओं से राय ली जाती है। सच तो यह है कि परिवर्तन तो हो रहे है मगर काफी संतोषजनक परिवर्तन नहीं है।

❖ सम्पत्ति के अधिकार

जब महिलाओं से सम्पत्ति में अधिकार के बारे में पूछा गया तो (90.11%) महिलाओं ने कहा कि उन्हे सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त है, आवश्यकता पड़ने पर वह नई सम्पत्ति खरीद सकती है। जिसे चाहे वह अपनी सम्पत्ति उत्तराधिकार में दे सकती है। 9.91%) महिलाओं ने माना कि पति या परिवार की सम्पत्ति उनकी है। इन महिलाओं को सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था।

उपरोक्त आंकडों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि महिलाओं में सम्पत्ति के लिए बहुत जागरूकता आ चुकी है। कुछ महिलाओं ने अपनी पैतृक सम्पत्ति को पाने के लिए कोर्ट तक का सहारा लिया है। महिलाओं में सम्पत्ति में अधिकारों की जानकारी है।

सारांश और निष्कर्ष

इस अंतिम अध्याय में शोधकर्ता ने पूर्व के अध्यायों के प्रमुख बिन्दुओं को शामिल किया है। इस अध्याय में महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन किया गया है। जैसे कि – शैक्षिक, आर्थिक, व्यवसायिक, राजनैतिक, परिवार में निर्णय लेने के अधिकारों में हुए परिवर्तन।

गांव नरेन्द्रपुर मदरहा की **198** महिलाओं का चयन **दैव निदर्शन** के माध्यम से किया गया था। महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता को जानने के लिए महिलाओं की तीन पीढ़ीयों का अध्ययन किया गया है।

इस अध्ययन में सामाजिक गतिशीलता को जानने के लिए महिलाओं की शैक्षिक, आर्थिक, व्यवसायिक, राजनीतिक, परिवार में निर्णय लेने के अधिकारों में आई गतिशीलता को जान कर सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया गया है।

❖ शैक्षिक गतिशीलता

महिलाओं की शैक्षिक गतिशीलता के अध्ययन के लिए महिलाओं की तीन पीढ़ीयों की शैक्षणिक स्थिति में तुलना की गई है।

उन्नसवीं सदी के आरम्भ में महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। **आल्टेकर (1956)** के अनुसार महिलाओं की कुल जनसंख्या का 99% भाग अशिक्षित था। उन्नीसवीं सदी में आजादी की लड़ाई के दौरान समाजसुधार कों ने स्त्री-शिक्षा के महत्व को समझा और स्त्री शिक्षा के लिए स्कूल, कालेजों की स्थापना की जाने लगी। आजादी के पश्चात स्त्री शिक्षा के महत्व को समझा गया और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई-नई रणनीतियाँ अपनाई गई। बदलते हुए सामाजिक-आर्थिक और राजनैतिक परिदृश्य में स्त्री शिक्षा की स्थिति बहुत अधिक संतोषजनक नहीं है। **भाई (1986)** का मानना है कि शिक्षा व्यक्ति की कार्यकुशलता, क्षमता और प्रदर्शन को बेहतर करती है। यह प्रेरणा उत्पादन और उर्ध्वाकार और क्षैतिज गतिशीलता को निर्धारित करती है।

शैक्षिक गतिशीलता के सन्दर्भ में जो आंकड़े प्राप्त हुए है उनसे यह प्रदर्शित होता है कि महिलाओं की शिक्षा का स्तर धीरे-धीरे बढ़ रहा है। परन्तु **बहुतायत महिलाओं ने अपनी शिक्षा का प्रयोग आत्मनिर्भर बनने के लिए नहीं किया है। उनके भविष्य के फैसले नौकरी करना या आगे की पढ़ाई के विषय में पति और ससुराल वाले निर्णय लेगे। महिलाओं की प्राथमिकता विवाह करके घर-गृहस्थी संभालना है।** महिलाओं की प्राथमिकता उनका घर और बच्चे है और यदि कभी कोई आर्थिक आवश्यकता होती है, पति अनुमति देते है तो वह नौकरी कर सकती है या पारिवारिक व्यवसाय में हाथ बंटा सकती है या घर से ही कोई छोटा-मोटा काम करके थोड़ा बहुत कमा सकती है। उच्च जाति की महिलाओं को किसी भी प्रकार के काम करने की अनुमति नहीं होती है।

शैक्षिक आंकड़ों में एक बहुत रोचक बात पता चली कि सभी महिला उत्तरदाताओं ने स्नातक कला वर्ग में पास किया था। दो महिलाए ऐसी थी जिन्होंने स्नातक वाणिज्य वर्ग में पास किया था। एक भी ऐसी महिला नहीं मिली जिसने स्नातक विज्ञान वर्ग या कम्प्यूटर में स्नातक किया हो। आंकड़ों से पता चलता है कोई भी महिला शहर के नियमित कालेजों में नहीं पढ़ती है। ज्यादातर महिलाओं ने प्राइवेट डिग्री कालेजों और पत्राचार कोर्सों के माध्यम से पढ़ाई की है।

कुछ उत्तरदाताओं का मानना है कि लड़कियों को उनकी अभिवृत्ति और रूचि के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए और वह जब तक चाहे तब तक शिक्षा प्राप्त कर सकती है। उनका मानना है लड़कियों को व्यवसायिक शिक्षा देनी जिससे वह नौकरी आसानी से प्राप्त कर सके। कुछ उत्तरदाताओं का मानना था कि लड़कियों को शिक्षा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देनी चाहिए क्योंकि आजकल के समय किसी का भरोसा नहीं है। इसके अलावा कुछ महिलाएं अपनी पुत्रियों को उच्च शिक्षा के लिए शहरों में भी भेजने को तैयार है। उनका कहना है कि जब लड़कों को शिक्षा के लिए शहर में भेज सकते है तो लड़कियों को भी भेज सकते है।

निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि महिलाओं में शिक्षा के प्रति कम रूचि है और वह शिक्षा अपने परम्परागत भूमिका को निभाने के लिए प्राप्त करती है। अपनी शिक्षा का प्रयोग विपत्ति या आर्थिक संकट के समय जीविका कमाने में प्रयोग करती है। लड़की का विवाह ही प्रमुख प्राथमिकता के तौर पर सामने आता है।

❖ व्यवसायिक गतिशीलता

महिलाओं की व्यवसायिक गतिशीलता के अध्ययन में महिलाओं की तीन पीढ़ीयों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

हमारे परम्परागत समाज में सदैव से पुरूष जीविका का अर्जक और परिवार का मुखिया होता था और स्त्री को घर गृहस्थी और बच्चों का पालन-पोषण करना होता था। वर्तमान समय में शिक्षा के बढ़ते प्रचार-प्रसार, आदि माध्यमों के प्रसार से महिलाओं को घर से बाहर जाकर नौकरी करने पर लगे प्रतिबन्धों में ढिलाई हुई है। ऐसा शायद आर्थिक दबाव को कम करने के लिए हुआ है जो कि शहरीकरण और आत्मनिर्भरता के प्रति बढ़ी जागरूकता के कारण हुआ है। **कौर (1983)** ने अपने अध्ययन में पाया कि बहुतायत महिलाएं रोजगार तब ही स्वीकारेगी जब कि उनकी पारिवारिक परिस्थिति उन पर दबाव डालेगी अन्यथा वह घर गृहस्थी संभालना परम कर्तव्य समझती है। **प्रोमिला कौर (1970)** के अनुसार महिलाओं में आत्मनिर्भरता के प्रति बहुत जागरूकता आ चुकी है। वह जानती है कि इससे वह अपने परिवार का कल्याण कर सकती है और स्वतन्त्र प्रास्थिति और समाज में स्वतन्त्र पहचान पा सकती है। महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण से समाज में महिलाओं की गतिशीलता को बढ़ावा मिलता है। महिलाओं की प्रास्थिति में परिवर्तन होता है।

व्यवसायिक गतिशीलता के जो आंकड़े महिलाओं की तीन पीढ़ीयों के अध्ययन से प्राप्त हुए है। वह दर्शाते है कि महिलाओं में

लम्बवत व्यवसायिक गतिशीलता बहुत अधिक नहीं हुई है। जबकि इन्टरजेनरेशनल क्षैतिज व्यवसायिक गतिशीलता के बहुत से उदाहरण मिले है। प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी की महिलाओं की तुलनाममें तृतीय पीढ़ी की महिलाएं शिक्षण, लिपिक, स्वरोजगार और परिवारिक व्यवसाय में अधिक संख्या में संलग्न है। प्रथम पीढ़ी में अधिकतर महिलाएं गृहणी है। केवल कुछ महिलाएं किसान/मजदूर, स्वरोजगार या पारिवारिक व्यवसाय में हाथ बंटाती है। **यद्यपि महिलाएं शिक्षित है बावजूद और अपनी शिक्षा का प्रयोग आत्मनिर्भर बनने के लिए नहीं करती है।** महिलाओं की प्राथमिकता विवाह होती है। विवाह के पश्चात पति और ससुराल वालों की इच्छा पर ही नौकरी कर सकती है। परिवार और पति का परम्परागत नजरिया जो कि महिलाओं को घर से बाहर जाकर नौकरी की अनुमति नहीं देता है। काफी हद तक महिलाएं स्वयं आत्मनिर्भर होना आवश्यक नहीं समझती है। वह सोचती है जैसे चल रहा वैसे चलने दो,यानि वह अपनी घर गृहस्थीतक ही सीमित रहना चाहिती है। उनके लिए स्वयं की प्रगति से अधिक महत्वपूर्ण उनका परिवार और बच्चे है। महिलाओं की सोच परिवार व बच्चों की देखभाल तक ही सीमित है चूंकि ग्रामीण परिवेश में परम्परागत कृषि प्रधान है। ऐसे में महिलाए घर में रहकर अनाज के भंड़ारण और रख-रखाव में व्यस्त रहती है।

कुछ उत्तरदाताओं ने महिलाओं के रोजगार को जरूरी बताया और वह स्वयं यह महसूस करती है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिला को अन्य महिलाओं की तुलना में अधिक सम्मान प्राप्त होता है। आर्थिक रूप

से आत्मनिर्भर होने पर वह स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है।

कामकाजी महिलाओं में ज्यादा समझदारी और आत्मविश्वास होता है। महिलाओं ने बताया कि वह घर पर रहकरही कुछ व्यवसाय करना चाहती है क्योंकि गांव में महिलाओं के रोजगार के साधन नहीं उपलब्ध है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी निर्वहन करना पड़ताहै। कुछ महिलाओं जिनके परिवार में नौकरी करने की पाबन्दी नहीं है। वह महिलाएं प्राइवेट स्कूल में शिक्षण करके ब्यूटी पार्लर, बुटीक, ट्यूशन आदि के माध्यमसे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही है। प्रथम पीढ़ी की महिलाओं की तुलना में तृतीय पीढ़ी की महिलाओं में व्यवसाय के प्रति जागरूकता बढ़ी है। यह एक सकारात्मक परिवर्तन की ओर कदम है।

सार रूप में यह कहा जा सकता है कि महिलाओं में ग्रामीण परिवेश के कारण व्यवसाय के प्रति प्रबल आकंक्षा का अभाव है, व्यवसाय के प्रकार और घर से बाहर जाकर महिलाओं को नौकरी करना सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। महिलाओं के पास सीमित व्यवसाय के ही विकल्प है क्योंकि घर से बाहर जाने की अनुमति न होना, कम शिक्षित होना और कम उम्र में विवाह के कारणों से महिलाएं व्यवसाय के प्रति जागरूक नहीं है। महिलाएं अभी भी परम्परागत विचारों में जकड़ी हुई जिसमें उनकी प्राथमिकता परिवार है, न कि उनका स्वयं का विकास, परन्तु कुछ

महिलाएं ऐसी भी है जिनमें आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूकता है।

❖ राजनैतिक गतिशीलता

भारत में परम्परागत तौर पर महिलाएं सदियों से पददलित, शोषित,सामाजिक तौर पर पिछड़ी, आर्थिक रूप से निर्भर और राजनैतिक रूप से शक्तिविहीन रही हैं। हमारे देश में महिलाओं की राजनीति सहभागिता अभी कुछ समय पूर्व ही प्रारम्भ हुई है। **सीमा सालगॉवकर (2006)** रिपोर्ट करती है कि भारत में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता बहुत कम है। लोकसभा में 1952 से 1996 के मध्य महिलाओं का प्रतिशत मात्र 6% था। राज्य सभा में 10.3% है। विधानसभा में महिलाओं की संख्या बहुत कम है। महिलाओं में जागरूकता बढ़ने के कारण महिला मतदान की दर बढ़ी है। स्थानीय सरकारों में महिलाओं को 33% आरक्षण है और विधानसभाऔर संसद में 33% आरक्षण की मांग जारी है।

महिलाओं की राजनीतिक गतिशीलता को समझने के लिए **मतदान** के विषय में जानकारी ली गई। लगभग सभी महिलाएं मतदान में भाग लेती है। उनका मानना है कि प्रत्येक वोट राजनीतिक दलों का भविष्य तय करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। कुछ महिलाएं पिछले चुनावों में गांव से बाहर होने के कारण मतदान में भाग नहीं ले पाई थी। कुछ महिलाएं राजनीति के प्रति नकारात्मक सोच रखती है और वह मतदान में भाग नहीं लेती है। महिलाओं से जब पूछा गया कि वह **अपनी इच्छा से वोट देती या किसी**

की राय पर इस प्रश्न के जबाब में प्रथम पीढ़ी की महिलाओं ने बताया कि वह घरवालों की मर्जी के अनुसार वोट करती है। वहीं कुछ महिलाओं ने कहा जिस प्रत्याशी को बहुमत प्राप्त होता है उसका वह समर्थन करती है। कुछ महिलाएं अपनी मर्जी से निर्णय लेकर मतदान करती है। हालांकि स्वयं के विवेक से मतदान करने वली महिलाओं की संख्या यद्यपि कम है परन्तु यह परिवर्तन की लहर है जो कि प्रमाण है कि महिलाओं में मतदान के प्रति अपनी सोच विकसित हुई है।

पंचायती चुनावों में सहभागिता के स्तर के विषय में जब आंकड़े एकत्र किए गए तो पाया गया कि **कुछ महिलाओं ने चुनाव प्रचार, चुनाव में पर्चे बांटने के कार्य किया है** और कुछ महिलाएं पंचायती चुनावों में प्रत्याशी के रूप में भी शामिल हुई है।

विधानसभा में महिलाओं का 33% आरक्षण के सम्बन्ध में आंकड़ों से ज्ञात होता है कि बहुतायत महिलाओं का कहना है कि विधानसभा चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए जिससे महिलाओं में समानता और सशक्तिकरण आ सके। कुछ महिलाओं की राय है कि महिला आरक्षण 50% होना चाहिए क्योंकि सदियों से शोषित रही है। ऐसे में जब तक निर्णय लेने के स्तर तक स्त्रियाँ पुरूषों के बराबर नहीं पहुँचेगी तब तक महिलाओं की स्थिति जस की तस रहेगी। पुरूष अपनी सत्ता खोना नहीं चाहते इसलिए महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं होने देते है। नाममात्र कि वह महिलाएं भी थी जो कि मानती है कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण नहीं होना

चाहिए। जिस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में महिला पुरूषों के बराबर है। आरक्षण माँगकर स्वयं को हीन और कमजोर साबित कर रही है। आरक्षण के आधार पर चुनी जाने वाली महिलाएं पुरूष सदस्यों के हाथ की कठपुतली है।

महिलाओं से **चुनाव प्रचार में सहभागिता के स्तर के बारे में पूछा गया तो अधिकतर महिलाओं ने कहा कि उन्होंने कभी भी राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं लिया है। कुछ उत्तरदाताओं ने बताया कि अपनी पारिवारिक सदस्यों के चुनाव में प्रत्याशी होने पर प्रचार-प्रसार का कार्य किया है। मात्र कुछ महिलाएं चुनावी रैली में शामिल हुई क्योंकि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनैतिक है।**

❖ आर्थिक गतिशीलता

महिलाओं की तीन पीढियों के मध्य **आर्थिक गतिशीलता** के आंकड़े दर्शाते है कि **महिलाओं में बहुत ज्यादा आर्थिक गतिशीलता नहीं हुई है।** जब कि इन्टरजेनरेशनल क्षैतिज आर्थिक गतिशीलता के बहुत से उदाहरण देखने को मिले है।

प्रथम पीढ़ी की मासिक आय के स्त्रोत कृषि, पशुधन व दूध डेरी, स्वरोजगार, सरकारी योजनाओं से मिलने वाली वृद्धावस्था पेन्शन, विधवा पेन्शन आदिसे आय प्राप्तहोती है। द्वितीय व तृतीय पीढ़ी की अधिकतर महिलाएं स्वरोजगार, ट्यूशन पढ़ाकर, अध्यापन आदि से ज्यादातर मासिक आय प्राप्त करती है। तृतीय पीढ़ीकी महिलाओं की मासिक आय के स्त्रोत

परम्परागत स्त्रोत न होकर स्वरोजगार,नौकरी और अध्यापन है। **महिलाओं के मध्य इन्टरजेनरेशनल आर्थिक गतिशीलता देखने को मिलती है। जिससे प्रथम पीढ़ी से तृतीय पीढ़ी के मध्य मासिक आय के स्त्रोतों और मासिक आय में काफी अन्तर है। महिलाओं में शिक्षा की दर बढ़ती है तो आर्थिक सशक्तिकरण अपने आप प्रारम्भ हो जाता है। शिक्षित महिलाएं स्वावलंबन के नए-नए तरीके अपनाकर अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त करती है। यद्यपि परिवर्तन की दर अत्यन्त धीमी है परन्तु वैश्वीकरण के दौर में यदि महिलाएं अपने परम्परागत ढ़ांचे को तोड़कर बाहर निकल रही है तो यह गतिशीलता के नए आयाम प्रस्तुत करेगा।**

❖ परिवार में निर्णय लेने के अधिकारों में गतिशीलता

महिलाओं की तीन पीढ़ीयों के मध्य परिवार में निर्णय लेने के अधिकारों के प्रति गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रमुख निर्णयों के बारे में पूछा गया। **जब बच्चों के जन्म सम्बन्धी अधिकार** के विषय में प्रथम पीढ़ी की ज्यादातर महिलाओं ने कहा कि पति और ससुराल वाले निर्णय लेते है। द्वितीय पीढ़ी की महिलाओं की भी यही राय थी। उनके पति और ससुराल वाले निर्णय लेते है वही तृतीय पीढ़ी में भी अधिकतर महिलाएं अपने पति के साथ मिलकर निर्णय लेती है।

बच्चों के पालन पोषण व शिक्षा सम्बन्धी निर्णयों में अधिकतर महिलाओं को अपने पति व रिश्तेदार की आज्ञा माननी पड़ती है। कुछ

महिलाएं पति के साथ मिलकर बच्चों के पालन-पोषण व शिक्षा सम्बन्धी निर्णय लेती है। जबकि कुछ महिलाएं स्वयं अकेले निर्णय लेती है। **बच्चों के जीवनसाथी चयन** में प्रथम पीढ़ी की तुलना में द्वितीय पीढ़ी की महिलाएं पति के साथ मिलकर निर्णय लेती है। तृतीय पीढ़ी की महिलाएं सर्वाधिक रूप से बच्चों के जीवनसाथी चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। **सर्वाधिक रोचक बात यह है कि किसी भी पीढ़ी में महिलाओं को बच्चों के जीवनसाथी चयन में स्वतन्त्र निर्णय लेने की आजादी नहीं है।** महिलाओं से जब घर गृहस्थी चलाने के निर्णय के बारे में आंकड़े एकत्र किए गए तो ज्ञात हुआ कि प्रथम पीढ़ी की महिलाओं को घर में बुजुर्ग होने के कारण घर गृहस्थी के निर्णय सर्वाधिक प्राप्त है। प्रथम और द्वितीय पीढ़ीकी महिलाओं ने माना कि घरेलू मसलों के निर्णय वह स्वयं करती है, परन्तु बड़ी खरीददारी- फ्रिज, कूलर, टी. वी. इत्यादि के लिए वह पति और रिश्तेदारों के निर्णय मानती है। **सत्य यह है कि महिलाओं को छोट-मोटे घरेलू फैसले करने की स्वतन्त्रता तो है मगर निर्णय अन्तिम नहीं माना जाता है।**

महिलाओं से **दिन-प्रतिदिन की खरीददारी सम्बन्धी निर्णय** के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि **दिन-प्रतिदिन की खरीददारी सब्जी, राशन, दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिए पति व अन्य पुरूष सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसका मुख्य कारण बाजार गांव से दूर स्थित होना है।** कुछ महिलाएं कभी-कभार पति के साथ बाजार जाकर खरीददारी करती है।

रसोई और भोजन सम्बन्धी निर्णयों के विषय में आंकड़ों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि **महिलाओं को रसोई और भोजन सम्बन्ध निर्णयों में अपनी सास का निर्णय मानना होता है।** कुछ महिलाएं जो एकल परिवारों में रहती है, वह रसोई और भोजन सम्बन्धि निर्णय लेने के लिए स्वतन्त्र है। कुछ परिवारों में पति और पत्नी आपसी सहमति से रसोई और भोजन सम्बन्धी निर्णय लेते है।

आर्थिक मुद्दों पर नियन्त्रण के आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि परिवार में आर्थिक नियन्त्रण हमेशा सास या पति के हाथ में होता है। द्वितीय व तृतीय पीढ़ी की वह महिलाएं जो संयुक्त परिवार में रहती है, उनकी आर्थिक मुद्दों पर नियन्त्रण शून्य होता है। जहाँ पर आर्थिक नियन्त्रण की बात आती है परिवार की वरिष्ठ महिला ही सब फैसले करती है।

महिलाओं से सम्पत्ति के अधिकार के विषय में जो आंकड़े एकत्र किए गए वह दर्शाते है कि महिलाओं की स्वयं कोई सम्पत्ति नहीं है। पारिवारिक सम्पत्ति ही उनकी अपनी सम्पत्ति है। पैतृक सम्पत्ति में जरूरत के अनुसार वह अपना हिस्सा मांगती है। महिलाओं में सम्पत्ति के अधिकारों के प्रति बहुत जागरूकता है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि गाँव की महिलाएं अपने विचार एवं व्यवहार से परम्परागत और रूढिवादी है। जिस प्रकार महिलाओं ने शिक्षा और रोजगार के प्रति रूचि, परिवार में निर्णय लेने के अधिकारों में कोई भूमिका न होना, व्यवसाय और आर्थिक

आत्मनिर्भरता के प्रति युवा पीढ़ी में जागरूकता का पाया जाना, राजनैतिक जागरूकता इत्यादि। इन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि महिलाओं में सामाजिक गतिशीलता कुछ आयामों में स्पष्ट रूप से हो रही है और कुछ आयामों में गतिशीलता की दर न के बराबर है।

अत: यह कहा जा सकता है कि गाँव की महिलाओं में गतिशीलता की दर बहुत धीमी है, परन्तु परिवर्तन जारी है। महिलाएं संक्रमणकाल से गुजर रही है जिससे पुराने विचारों को त्याग कर नए विचारों को अपनाना होगा क्योंकि यही समय की माँग है। युवा महिलाओं में जो जागरूकता नजर आई है उससे स्पष्ट होता है कि भविष्य में सामाजिक गतिशीलता में सहायता मिलेगी।

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय,

वर्धा (महाराष्ट्र) – 442005

मानव विज्ञान विभाग – एम. फिल साक्षात्कार अनुसूची

विषय – महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन

क्रम सं. .....

दिनांक .....

A) सामान्य जानकारी

1. परिवार के मुखिया का नाम .....
2. पिता का नाम .....
3. जाति .....
4. गोत्र .....
5. धर्म .....
6. निवास स्थान .....
7. पोस्ट .....
8. थाना .....
9. जिला .....
10. पूर्वज इस स्थान पर कब से निवासरत है .....

11.इसके पूर्व कहाँ रहते थे? .....

B) पारिवारिक विवरण

क्र.	नाम	संबंध	उम्र	लिंग	वैवाहिक स्थिति	शिक्षा	व्यवसाय
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय,

वर्धा (महाराष्ट्र) – 442005

मानव विज्ञान विभाग – एम. फिल

विषय – महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन

अनुसूचीक्र. ..... **दिनांक .....**

1) सामान्य जानकारी

1.1 उत्तरदाता का नाम .....

1.2 उत्तरदाता के पिता/पति का नाम .....

1.3 जाति .....

2) शैक्षिक गतिशीलता

पारिवारिक सदस्य	स्वयं	पुत्री	पुत्रवधू	माता	सास
उम्र					
अशिक्षित					
प्राथमिक स्कूल					
मेट्रिक					
हाईस्कूल					

इंटरमीडिएट					
स्नातक					
परास्नातक					
व्यवसायिक कोर्स					
अन्य					

लड़कियों को किस प्रकार (औपचारिक, व्यवसायिक प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा) की शिक्षा देनी चाहिए और क्यों?

3) व्यवसायिक गतिशीलता

क्र;	पारिवारिक सदस्य	स्वयं	पुत्री	पुत्रवधू	माता	सास
1.	बेरोजगार					
2.	गृहणी					
3.	किसान/मजदूर					
4.	स्वरोजगार					
5.	लिपिक					
6.	नौकरी					
7.	अन्य					

4) आपके व्यवसाय/कार्य में संलग्न होने के कारण ?

5) परिवार द्वारा किस प्रकार का प्रोत्साहन मिलता है?

A) पति घरेलू कार्यो में मदद करते है।

B) रिश्तेदार या ससुरालवाले बच्चों की देखभाल करते है।

C) घरेलू कार्यों के लिए नौकर है।

D) सास रसोई के काम संभाल लेती है।

6) महिलाओं के लिए किस प्रकार के व्यवसाय/कार्य की सलाह देगी और क्यों?

A) अध्यापन – छुट्टियां, सम्मान, नियमित समय इत्यादि

B) बैंक या लिपिकीय नौकरी, नियमित दिनचर्या, काम का दबाव नहीं

C) घर बैठकर स्वरोजगार करना

D) पार्ट टाइम नौकरी

E) व्यक्ति की इच्छाओं और योग्यताओं के अनुसार नौकरी

राजनैतिक गतिशीलता

7) क्या आप मतदान करती है?

1) हाँ 2) नहीं 3) कभी-कभार

यदि हाँ तो क्यो?

1) प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य

2) चुनाव में प्रत्याशी को जिताने के लिए प्रत्येक मत महत्वपूर्ण है।

यदि नहीं तो क्यों?

1) गाँव में उपस्थित नहीं थी

2) मतदान करना आवश्यक नहीं समझते

3) रूचि नहीं है

8) क्या कभी आपने इन गतिविधियों में भाग लिया है?

गतिविधियाँ	**हाँ**	**नहीं**	**कभी-कभार**
1) चुनाव प्रचार-प्रसार			
2) चुनावी पर्चे बांटना			
3) रैली			
4) आन्दोलन			

9) विधानसभा में महिलाओं का 33% आरक्षण उचित है। राय दें

1) आरक्षण होना चाहिए

2) आरक्षण नहीं होना चाहिए

3) पता नहीं

यदि आरक्षण होना चाहिए तो क्यों?

1) समानता लाने के लिए

2) महिला सशक्तिकरण के लिए

3) महिलाओं को राजनैतिक समानता देने के लिए

4) आरक्षण 50% होना चाहिए

यदि आरक्षण नहीं होना चाहिए तो क्यों?

1) महिलाओं पुरूषों के समान सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रही है।

2) आरक्षण मांग कर कमजोर साबित कर रहे है

3) _____

10) पंचायती चुनाव में सहभागिता का स्तर

1) मतदाता के रूप

2) प्रत्याशी के रूप

3) _____

11) मतदान किस की राय पर करती है?

1) स्वयं

2) पति

3) रिश्तेदार

यदि स्वयं तो क्यों? _____

यदि पति तो क्यों? _____

यदि रिश्तेदार तो क्यों? _____

परिवार में निर्णय लेने के अधिकारों में गतिशीलता

12) बच्चों के जन्म सम्बन्धी निर्णय कौन लेता है?

1) पति

2) पत्नी

3) दोनो मिलकर

4) रिश्तेदार

यदि पति तो क्यों? _____

यदि पत्नी तो क्यों? _____

यदि दोनो मिलकर तो क्यों?_____

यदि रिश्तेदार तो क्यों? _____

13) बच्चों के पालन-पोषण व शिक्षा सम्बन्धी निर्णय

1) पति

2) पत्नी

3) दोनो मिलकर

4) रिश्तेदार

यदि पति तो क्यों? _____

यदि पत्नी तो क्यों? _____

यदि दोनो मिलकर तो क्यों?_____

यदि रिश्तेदार तो क्यों? _____

14) बच्चों के जीवनसाथी चयन सम्बन्धी अधिकार

1) पति

2) पत्नी

3) दोनो मिलकर

4) रिश्तेदार

यदि पति तो क्यों? _____

यदि पत्नी तो क्यों? _____

यदि दोनो मिलकर तो क्यों?_____

यदि रिश्तेदार तो क्यों? _____

15) घर गृहस्थी चलानें में

1) पति

2) पत्नी

3) दोनो मिलकर

4) सास

यदि पति तो क्यों? _____

यदि पत्नी तो क्यों? _____

यदि दोनो मिलकर तो क्यों?_____

यदि रिश्तेदार तो क्यों? _____

16) दिन-प्रतिदिन की खरीददारी

1) पति

2) पत्नी

3) दोनो मिलकर

4) रिश्तेदार

यदि पति तो क्यों? _____

यदि पत्नी तो क्यों? _____

यदि दोनो मिलकर तो क्यों?_____

यदि रिश्तेदार तो क्यों? _____

17) रसोई और भोजन सम्बन्धी निर्णय

1) पति

2) पत्नी

3) दोनो मिलकर

4) रिश्तेदार

यदि पति तो क्यों? _____

यदि पत्नी तो क्यों? _____

यदि दोनो मिलकर तो क्यों?_____

यदि रिश्तेदार तो क्यों? _____

18) आर्थिक मुद्दों पर नियन्त्रण के अधिकार

1) पति

2) पत्नी

3) दोनो मिलकर

4) सास

यदि पति तो क्यों? _____

यदि पत्नी तो क्यों? _____

यदि दोनो मिलकर तो क्यों?_____

यदि रिश्तेदार तो क्यों? _____

19) महिलाओं को पिता की सम्पत्ति में हिस्सा लेना चाहिए? आपकी राय

1) हाँ

2) नहीं

3) यदि माता-पिता की इच्छा हो

यदि हाँ तो क्यों?

1) बेटा-बेटी एक समान इसलिए सम्पत्ति में भी समान अधिकार

2) बेटियाँ भी माँ-बाप की देखभाल कर सकती है

3) _____

यदि नहीं तो क्यों?

1) उनको दहेज दिया जाता है और शादी में बहुत खर्च होता है।

2) उन्हें पति की तरफ से भी सम्पित्त मिलती है।

3) भाई और अभिभावकों से सम्बन्ध खराब हो जाते है।

4) जो कुछ खुशी-खुशी मिलता, ले लेना चाहिए।

5) _____

आर्थिक गतिशीलता

20) आपकी मासिक आय

1) कोई आय नहीं

2) 5000 से कम

3) 5000 से 10000

4) 10000 से 15000

5) 15000 से 20000

6) 20000 से ऊपर

21) आय के स्त्रोत

1) गृहणी

2) किसान/मजदूर

3) स्वरोजगार

4) लिपिक

5) अध्यापक

6) नर्स

7) बेरोजगार

8) अन्य

22) आपके व्यवसाय करने के मुख्य कारण?

1) पारिवारिक आय में सहयोग

2) अपनी शिक्षा व प्रतिभा का प्रयोग

3) आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता

4) अपनी प्रास्थिति को ऊँचा करने के लिए

5) अपने ससुराल वालो की इच्छा के कारण

6) _____

23) परिवार के लोग आपके काम के बारे में क्या सोचते है?

1) संतुष्ट

2) असंतुष्ट

यदि असंतुष्ट तो क्यों?

1) नौकरी के कारण परिवार को अतिरिक्त समय नहीं दे पाती।

2) समाज में अच्छा नहीं मानते है?

3) _____

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1) आहूजा, राम. 1994 "भारतीय सामाजिक व्यवस्था" रावत पब्लिकेशन्स; जयपुर, नई दिल्ली. पृ. 59-60, 37.

2) भाई, निर्मला. पी, 1986 "स्वतन्त्र भारत में हरिजन महिलाए" ; बी. आर. पब्लिशिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली.

3) देवा इन्द्रा और श्रीराम. 1986, "भारतीय समाज में परम्परागत मूल्य और संस्थाएं"; एस. चन्द्र और कम्पनी, नई दिल्ली. पृ. 148

4) दुबे,एस. सी. "मानव और संस्कृति" ; 1969, नेशनल पब्लिशर्स, नई दिल्ली.

5) गोरे. एम. एस. 1968, "शहरीकरण और परिवार परिवर्तन" ; पापुलर प्रकाशन, बाम्बे, पृ. 159, 168.

6) हसनैन. नदीम. 2004, "समकालीन भारतीय समाज" ; भारत बुक सेन्टर, लखनऊ.

7) हाते. सी. ए. 1969, "महिलाओं की बदलती प्रास्थिति आजादी पश्चात भारत में"; सलाइड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमेटेड, बाम्बे, पृ.52.

8) जैन. शोभिता. 1989, "भारत में परिवार, विवाह और नातेदारी"; रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, नई दिल्ली, पृ. 146-147.

9) जेना. संजय, के. एम. 1964, "कामकाजी महिलाएं और आधुनिकरीकरण"; आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृ. 162

10) कपाडिया, के. एम. 1964, "विवाह और परिवार भारत में"; इन्डियन ब्रान्च, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन, पृ. 113.

11) कौर, इन्द्रजीत. 1983, "हिन्दू महिलाओं की प्रास्थिति"; चुग पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद.

12) पटवर्धन, सुनन्दा. 1973, "भारतीय हरिजनों के बीच परिवर्तन"; ओरियन्ट लांगमैन लिमिटेड, नई दिल्ली.

13) रानी काला. 1976, "कामकाजी महिलाओं में भूमिका विवाद"; चेतना पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली.

14) सालगावकर, सीमा. 2006, "राज्यऔर राजनीतिक शक्ति महिलाएं"; अभिजीत पब्लिकेशन्स, दिल्ली, पृ. 16.

English Books

Agrawal, Binod C. 2004. "Communication Research Related to Women and Children" in *Media Utilization for the Development of Women and Children* by B.S.Thakur and Binod. C.Agrawal. (Ed) Concept Publishing House. N.Delhi.

Altekar, 1956. *Position of women in Hindu Civilization- from Prehistoric times to the Present day.* Motilal Banarsidas. Delhi-Patna-Varanasi. P.93-95. 203. 206

Bogardus, E.S. 1967. "Measuring Social Distance".in M.Fishbein (Ed). *Readings in Attitude Theory and Measurement.* John. Wiley. New York.

Deva Indra and Shrirama 1986, "*Traditional Values and Institutions in Indian Society",* S.Chand and Company, N. Delhi. P. 148

Dube Leela, Eleanor Leacock and Shirley Ardener, (Ed), 1986, "*Visibility and Power":* Essays on Women in Society and Development, Oxford University Press, Delhi.

Dubey, S.C. 1976." Modernization and Education".in S.L Srivastav (Ed). "*Tradition and Modernization*" Indian International Publication. Allahabad.

Everett Jana Matson, 1981. "Women *and Social Change in India*". Heritage Publishers. New Delhi.

Goel, Aruna. 2004. "*Organization and Structure of Women Development and Empowerment*", Deep and Deep Publications Pvt. Ltd. N.Delhi. P.290

Gol, 2000. *Women and Men in India.* Central Statistical Organization. New Delhi. P.101.

Government of India. 1964. "International Trends", Women .in Employment, Labour Bureau, Ministry of Labor and Employment, P. 58-59.

Government of India. Census Reports. 1951-2001. Registrar General and Commissioner. Census Operations. New Delhi

Goode, William. J. 1963. "*World Revolution and Family Pattern".*The Free Press, New York. P. 207-208.

International Encyclopaedia of Social Sciences. 1968. Vol. 15. The Macmillan Company. P.250.

Jain, Shashi. 1988. "*Status and Role-Perception of Middle Class Women",* Puja Publishers, N.Delhi.

Karve, Iravati. 1953. *"Kinship organization in India*", Vikas Publishing House, Delhi.

Kurane, Anjali. 1999, "*Ethnic Identity and Social Mobility",* Rawat Publications, Jaipur and N.Delhi. P.12, 41.

Lipset S.M. and R. Bendix. 1967. "*Social Mobility in Industrial Societies*" University of California Press. London. P.8.

Lipset S.M. and Zetterberg. H.L. 1966. "*A Theory of Social Mobility*", in R. Bendix and M. Lipset (Ed). Class Status and Power, London: Routledge and Kegan Paul. P. 563.

Latheef, N. and Hazira Ahmad. 1964. "Politics of Social Mobility in India: A Hypothesis".in *Indian Journal of Social Research*, April, No.1, PP. 236-44.

Marriot, McKim, 1959. "*Interactional and Attributional Theories of Caste Ranking"* Man in India 39. No. 2 (June, 1959): P. 92-107.

Malik, Suneila. 1979. "*Social Integration of Scheduled Castes"*. Abhinav Publications. New Delhi. P.61.

Mohanty R.P and D.N.Biswal, 2007, "Culture, Gender and Gender Discrimination-Caste Hindus and Tribals", Mittal Publications New Delhi. P. 37. 84, 88. 130.

Patwardhan, Sunanda, 1973. "*Change Among Indian Harijans".* Orient Longman. Limited. N.Delhi.

Ralph, Linton. 1936. *"The Study of Man",* Appleton Century Crafts. New York.

Rowe, William, L. 1968. "The New Chauhans: A Caste Mobility Movement in N.India", in Silverberg, James (Ed): *Social Mobility in the Caste System in India*, The Hague: Mouton

Sharma, K.L. 1997, *Social Stratification in India-issues and themes*, Sage Publications, New Delhi. P. 157, 133,136,

Sharma, K.L. 2007. "Indian Social Structure and Change".Rawat Publications. New Delhi. P.239. 149. 150.

Newspapers:

Times of India, 14-11-07.
Times of India, 1-05-08.
Times of India, 8-9-08.
Times of India, 5-3-09.
Times of India, 8-4-08.
Times of India, 2-3-09.

On-line sources:

http://en.wikipedia.org/wiki/Uttar_Pradesh
http://en.wikipedia.org/wiki/Barabanki_city
http://www.populationofindia.co.in/uttar
pradesh/barabanki/haidergarh/.narendrapur-madraha